झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र

वर्ग–03

बिम्नलिखित तारांकित प्रश्न,बुधवार,दिनांक– 19 फाल्गुन, 1942 (श0) / 10 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे:–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
364.	पथ–09	श्री नीरल पुरती	सड़क की मरम्मति।	पथ निर्माण	24.02.21
365.	ग्राम–11	श्री नीरल पुरती	मनरेगा मजदूरी का भुगतान।	ग्रामीण विकास	24.02.21
366.	ग्राम–13	श्री मनीष जायसवाल	रोया नियमित करना।	ग्रामीण विकास	24.02.21
367.	पेय–15	श्री डुलू महतो	पेयजल की आपूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	01.03.21
368.	ग्राम–68	श्री रामदास सोरेन	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	03.03.21
* 369.	पथ–20	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	26.02.21
370.	पथ–52	श्री अमित कुमार मंडल	पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण।	पथ निर्माण	03.03.21
371.	ग्राम–76	डॉ0 नीरा यादव	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	03.03.21
* 372.	पेय–20	श्री रामदास सोरेन	पाईप लाईन से जलापूर्ति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	03.03.21
373.	ग्राम–61	श्री विकास कुमार मुंडा	प्रखंड का निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	01.03.21
374.	न–19	श्री सरयू राय	नगरपालिका का चुनाव।	नगर विकास एवं आवास	26.02.21
375.	पेय–11	श्री कमलेश कुमार सिंह	नलकूप लगाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.02.21
376.	पथ–42	श्री कुमार जयमंगल	पथ का फोर लाईन करना।	पथ निर्माण	01.03.21

कृ0पृ030/-

01	02	03	04	05	06
377.	पथ-44	श्री दशरथ गागराई	पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	03.03.21
378.	परि-02	श्री सोनाराम सिंकू	प्रकिया को सरल बनाना।	परिवहन	26.02.21
379.	पेय-16	श्रीमती सीता सोरेन	पाईप लाईन से जलापूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	01.03.21
380.	पेय-24	डॉ0 नीरा यादव	जलमीनार का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	03.03.21
381.	पथ-33	श्री कोचे मुण्डा	रैयतों को मुआवजा देना।	पथ निर्माण	26.02.21
382.	ग्राम-53	डॉ0 लम्बोदर महतो	पथों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
383.	पेय-21	श्रीमती ममता देवी	पेयजल की आपूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	03.03.21
384.	न-01	श्री बिरंची नारायण	ट्रांसपोर्ट नगर बनाना।	नगर विकास एवं आवास	17.02.21
385.	पथ-30	श्री भानु प्रताप शाही	निर्माण कार्य पूर्ण कराना।	पथ निर्माण	26.02.21
386.	ग्राम-02	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पथ का कालीकरण।	ग्रामीण विकास	17.02.21
387.	ग्राम-63	श्री लोबिन हेम्ब्रम	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	01.03.21
388.	ग्राम-47	श्री दिनेश विलियम मरांडी	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
389.	पेय-02	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	पेयजल योजना को पूर्ण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.21
390.	ग्राम-18	श्री किशुन कुमार दास	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.21
391.	ग्राम-07	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.21
392.	पेय-14	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.02.21
393.	ग्राम-37	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पुल की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	26.02.21
394.	न-23	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	अनापत्ति प्रमाण पत्र देना।	नगर विकास एवं आवास	01.03.21
395.	ग्राम-77	श्री इन्द्रजीत महतो	डोकरा पंचायत को बलियापुर प्रखंड में शामिल करना।	ग्रामीण विकास	03.03.21
396.	ग्राम-60	श्री नारायण दास	पथों का निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	01.03.21
397.	पेय-18	श्री अमर कुमार बाउरी	जलापूर्ति योजना चालू कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	03.03.21
398.	पथ-19	डॉ0 इरफान अंसारी	सड़क का चौड़ीकरण।	पथ निर्माण	26.02.21
399.	न-22	डॉ0 सरफराज अहमद	पथ का कालीकरण।	नगर विकास एवं आवास	01.03.21
400.	पथ-26	श्री अमित कुमार यादव	मुआवजा राशि का भुगतान।	पथ निर्माण	26.02.21
401.	पेय-03	श्री विनोद कुमार सिंह	पेयजल आपूर्ति योजना पूर्ण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.21
402.	पथ-36	श्री कमलेश कुमार सिंह	बाईपास पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	26.02.21
403.	ग्राम-74	श्रीमती पुष्पा देवी	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	03.03.21
404.	न-08	श्री मनीष जायसवाल	रशीद काटना।	नगर विकास एवं आवास	24.02.21
405.	ग्राम-15	श्री विनोद कुमार सिंह	पक्की सड़क से जोड़ना।	ग्रामीण विकास	24.02.21

01	02	03	04	05	06
406.	ग्राम-42	श्री मथुरा प्रसाद महतो	सड़क की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	26.02.21
407.	ग्राम-32	श्री नलिन सोरेन	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
408.	ग्राम-69डॉ0	कुशवाहा शशि भूषण मेहता	सड़क की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	03.03.21
409.	पेय-22	श्री रामचन्द्र सिंह	जलापूर्ति योजना की स्वीकृति।	पेयजल एवं स्वच्छता	03.03.21
410.	पेय-17	श्री रणधीर कुमार सिंह	पेयजल की आपूर्ति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	01.03.21
411.	न-28	श्री वैद्यनाथ राम	कम दर पर टैक्स की वसूली।	नगर विकास एवं आवास	03.03.21
412.	ग्राम-67	श्री अमर कुमार बाउरी	बकाया राशि का भुगतान।	ग्रामीण विकास	03.03.21
413.	न-10	डॉ0 इरफान अंसारी	स्वतंत्र पार्क एवं बस स्टैंड का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	26.02.21
414.	पथ-25	श्रीमती पुष्पा देवी	सड़क की मरम्मति।	पथ निर्माण	26.02.21
415.	पथ-51	श्री राजेश कच्छप	दोषी पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	03.03.21
416.	भ-04	श्री रणधीर कुमार सिंह	भवन का निर्माण।	भवन निर्माण	01.03.21
417.	ग्राम-58	सुश्री अम्बा प्रसाद	सामाजिक अंकेक्षण कराना।	ग्रामीण विकास	01.03.21
418.	पथ-18	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सड़क एवं पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	26.02.21
419.	ग्राम-41	श्री केदार हजरा	पथ का जीर्णोद्धार।	ग्रामीण विकास	26.02.21
420.	ग्राम-62	श्री विकास कुमार मुण्डा	अलग प्रखंड का निर्माण।	ग्रामीण विकास	01.03.21
421.	ग्राम-31	श्री नलिन सोरेन	उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
422.	न-17	श्री अमित कुमार यादव	पार्क का निर्माण कराना।	नगर विकास एवं आवास	26.02.21
423.	न-21	श्रीमती सीता सोरेन	पलाई ओवर बनाना।	नगर विकास एवं आवास	01.03.21
424.	न-25	श्री दशरथ गागराई	जमीन अतिक्रमण मुक्त कराना।	नगर विकास एवं आवास	03.03.21
425.	पथ-29	श्री भानु प्रताप शाही	ग्रामीणों को मुआवजा देना।	पथ निर्माण	26.02.21
426.	ग्राम-48	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	नए पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
427.	ग्राम-20	श्री किशुन कुमार दास	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
428.	ग्राम-64	श्री लोबिन हेम्ब्रम	सड़कों को बनाना।	ग्रामीण विकास	01.03.21
429.	पथ-53	श्री समीर कुमार मोहन्ती	सड़क की मरम्मति।	पथ निर्माण	03.03.21
430.	पथ-45डॉ0	कुशवाहा शशिभूषण मेहता	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	03.03.21
431.	पथ-43	श्री दीपक बिरुवा	राशि का आवंटन।	पथ निर्माण	03.03.21
432.	पेय-23	श्री उमा शंकर अकेला	पानी मुहैया कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	03.03.21
433.	परि-04	श्री उमाशंकर अकेला	ट्रेनिंग सेंटर खोलना।	परिवहन	03.03.21
434.	ग्राम-26	श्री अनन्त कुमार ओझा	पथों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
435.	ग्राम-72	श्री भूषण बाड़ा	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	03.03.21
436.	ग्राम-75	श्री वैद्यनाथ राम	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	03.03.21
437.	पथ-02	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	17.02.21

01	02	03	04	05	06
438.	पथ-39	डॉ० लम्बोदर महतो	पथ का हस्तांतरण।	पथ निर्माण	26.02.21
439.	ग्राम-66	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	पुल एवं पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	03.03.21
440.	न-03	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	डी०सी० बिल उपलब्ध कराना।	नगर विकास एवं आवास	19.02.21
441.	न-18	श्री आलोक कुमार चौरसिया	दुकान का आवंटन।	नगर विकास एवं आवास	26.02.21
442.	न-26	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	दंडात्मक कार्रवाई।	नगर विकास एवं आवास	03.03.21
443.	ग्राम-59	सुश्री अम्बा प्रसाद	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	01.03.21
444.	पथ-22	श्री अनन्त कुमार ओझा	पुल का निर्माण कराना।	पथ निर्माण	26.02.21
445.	ग्राम-38	श्री मथुरा प्रसाद महतो	सड़क की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	26.02.21
446.	पथ-28	श्री केदार हजरा	पथ की सुदृढ़ीकरण।	पथ निर्माण	26.02.21

राँची,
दिनांक- 10 मार्च,2021(ई०)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020....1055..../वि०स०,राँची,दिनांकः-07/03/21

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

07/03/2021
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०-प्रश्न-04/2020....1055..../वि०स०,राँची,दिनांकः-07/03/2

प्रतिलिपिः-आप्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न),झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

07/03/2021
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०-प्रश्न-04/2020....1055..../वि०स०,राँची,दिनांकः-07/03/21

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/ऑन लाईन शाखा/वेवसाईट शाखा,आश्वासन समिति शाखा एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राजेन्द्र/-

(364)

श्री निरल पुरती, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–09" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिला अंतर्गत सिंहपोखरिया से बलन्डिया होते हुए कुमारडुंगी तक सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण आम लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है; 2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, असूरा पी०डब्ल्यू०डी० पथ से बलण्डीया– कुमारडुंगी पथ (लंबाई–38.65 कि०मी०), पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की पथ है। इस पथ पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवश्यक मरम्मति कराई गई है तथा भविष्य में निधि की उपलब्धतानुसार पथ की आवश्यक मरम्मति/उन्नयन कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–09/2021 924(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 277 दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–09/2021 924(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची /संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–09/2021 924(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

365

श्री निरल पुरती, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम–11 की उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री निरल पुरती, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि पिछले छः माह से अधिक समय से मनरेगा में मजदूरी की भुगतान नहीं हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि मनरेगा में मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण ग्रामीणों के जीविकोपार्जन पर असर पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है;	राज्य में मनरेगा अन्तर्गत पंजीकृत मजदूरों द्वारा कार्य की माँग करने पर 15 दिनों के अन्दर काम उपलब्ध करा दिया जाता है एवं मस्टर रोल की समाप्ति की तिथि से T+8 दिनों के अन्दर FTO के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनरेगा मजदूरी की बकाया भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्यरत मजदूरों के मजदूरी भुगतान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–231/वि0 स0/2021/ग्रा0 वि0 – (N)349 राँची, दिनांक 5.3.2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 294 दिनांक 24.02.2021 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रंजीत रंजन प्रसाद) 5/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–231/वि0 स0/2021/ग्रा0 वि0 – (N)349 राँची, दिनांक 5.3.2021

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/21
सरकार के उप सचिव।

366.

मानननीय स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 13 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के संकल्प संख्या– 1603 दिनांक 20.05.2016 की कंडिका– 04 एवं विभागीय ज्ञापांक 2464 दिनांक 23.08.2016 के आलोक में विज्ञापन के माध्यम से राज्य में लगभग 18 हजार पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई थी, जिनके माध्यम से सरकार के लगभग 15 विभागों के कार्यों का संचालन किया जा रहा था;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या– 1603 दिनांक 20.05.2016 द्वारा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का चयन किया गया था। इस संकल्प के कंडिका– 3 में चयन प्रक्रिया का प्रावधान है। राज्य में कुल 17 हजार 02 सौ 57 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक चयनित/ प्रकाशित है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित स्वयंसेवकों को एक–दो विभागों को छोड़ किसी अन्य विभागों द्वारा अबतक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है, जिससे उक्त सभी स्वयंसेवकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है;	अस्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित स्वयंसेवकों को एक निर्धारित वेतन यथा मानदेय देते हुए सभी की सेवा नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या– 1603 दिनांक 20.05.2016 में निर्धारित वेतन यथा मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संकल्प की कंडिका– 2 के प्रावधान के अनुरूप प्रोत्साहन/सम्मान राशि का भुगतान किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 03/2021 ....484...../, राँची, दिनांक :– 01.3.2021

प्रतिलिपि:– 125 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 297 दिनांक 24.02.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 03/2021 ....484...../, राँची, दिनांक :– 01.3.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

01/03/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 03/2021 ....484...../, राँची, दिनांक :– 01.3.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/03/21
सरकार के उप सचिव।

सुनिता/26.02.2021

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related Question & Answer.docx

(367)

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 15 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत पूरे बी०सी०सी०एल० क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति हेतु एक मात्र जमुनिया नदी मारीगढ़ा डैम से पेयजल आपूर्ति होती है, यह डैम काफी पुराना हो चुका है;	धनबाद जिला अन्तर्गत माटीगढ़ा डैम बी०सी०सी०एल० के नियंत्रणाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि कतरास एवं जमुनिया जलापूर्ति योजना कम क्षमता एवं पुराना होने के कारण बी०सी०सी०एल० क्षेत्र में पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;	गर्मी के दिनों में जमुनिया नदी में जल की उपलब्धता का सर्वे कराकर जल की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमुनिया नदी भारीगढ़ा डैम की सफाई एवं चौड़ीकरण कराते हुए इसकी क्षमता बढ़ाने एवं समुचित पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	माटीगढ़ा डैम की सफाई एवं चौड़ीकरण आदि का कार्य बी०सी०सी०एल० द्वारा किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–147/2020– 896 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–729, दिनांक– 01.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–147/2020– 896 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

(368)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–68

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1– क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला प्रखण्ड के नरसिंह–गढ़ रेलवे फाटक से छोड़िया तथा स्वर्णरेखा नदी स्थित पम्पूघाट होते हुए मुसाबनी प्रखण्ड मुख्यालय तक जाने वाली ग्रामीण सड़क की दूरी लगभग 09 कि0मी0 है;	स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि वर्णित सड़क पर स्वर्णरेखा नदी स्थित पम्पूघाट में पुल नहीं होने के कारण घाटशिला मुख्यालय होते हुए 30–35 कि0मी0 दूरी तय कर ग्रामीणों को मुसाबनी आना–जाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3– क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रखण्ड घाटशिला विधान–सभा क्षेत्र अति संवेदनशील एवं उग्रवाद प्रभावित होने के कारण उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों को लम्बी दूरी तय कर आने–जाने में काफी कठिनाई होती है;	स्वीकारात्मक।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में वर्णित नदी के पम्पूघाट में पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–36/2021/ग्रा0का0 580 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 906 वि0स0 दिनांक – 03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–36/2021/ग्रा0का0 580 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–36/2021/ग्रा0का0 580 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

(340)

श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–52" का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखंड–गोड्डा के सिकटिया से चक्रेश्वरी होते हुऐ रौतारा चौक तक दो मुँही से दियारा, सैदापुर होते हुऐ ढोढ़री के बिहार सीमा तक एवं प्रखंड–पथरगामा के गाँधीग्राम से चिलरा, कोरका होते हुए उरकुसिया बिहार राज्य सीमा तक तथा पथरगामा लकड़ी मिल से घाट कुसवा बड़गामा मोड़ डेरमा, राहा, कोरियाना बिहार राज्य की सीमा तक NH-133 से जोड़ती है; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित राज्य सम्पोषित/P.M.G.S.Y सड़कों को पथ निर्माण विभाग में हस्तानान्तरित करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के अधीन है। पथ को मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–सा0प्र0–49/2021 918(S) राँची/दिनांक :08/03/21
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 897 दिनांक 03.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(हस्ताक्षर) 08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–सा0प्र0–49/2021 918(S) राँची/दिनांक :08/03/21
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची /संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(हस्ताक्षर) 08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–सा0प्र0–49/2021 918(S) राँची/दिनांक :08/03/21
प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

Vidhan Sabha/Tarankit Prasn/Panchami Satra 2021

371.

डॉ0 नीरा यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–76

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 नीरा यादव, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड डोमचाँच के मितियाही नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण नहीं होने के कारण प्रखण्ड अन्तर्गत दर्जनों पंचायत के स्थानीय आमजन को आवागमन में कठिनाईयाँ हो रही है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि जिला के डोमचाँच प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत–ढोढ़ाकोल में "हरैया नाला (नदी) पर एप्रोच पथ सहित उच्च–स्तरीय पुल के निर्माण नहीं होने के कारण वर्ष के चार–पाँच महीने स्थानीय आमजन तथा स्कूली बच्चे–बच्चियों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) तथा खण्ड (2) में वर्णित प्रखण्ड अन्तर्गत नदी पर एप्रोच पथ सहित उच्च–स्तरीय पुल के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–32/2021/ग्रा0का0 579 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 913 वि0स0 दिनांक – 03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–32/2021/ग्रा0का0 579 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–32/2021/ग्रा0का0 579 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

(373)

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्रा0–61

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिले का तमाड़ प्रखण्ड जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है;	अस्वीकारात्मक। उप विकास आयुक्त, राँची का पत्रांक–50 दि0–06.03.2021 के अनुसार तमाड़ प्रखण्ड की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1,32,672 तथा क्षेत्रफल 1,27,716.05 एकड़ है। तमाड़ प्रखण्ड में कुल पंचायतों की संख्या 23 एवं राजस्व ग्रामों की संख्या 129 है। तमाड़ प्रखण्ड के सभी पंचायत तमाड़ थाना अन्तर्गत आते हैं।
2. क्या यह बात सही है कि तमाड़ प्रखण्ड बड़ा होने के कारण इसे बाँट कर दो प्रखण्डों में विभक्त करने की मांग किया जाता रहा है;	अस्वीकारात्मक। नये प्रखण्ड हेतु अनुशंसा उपलब्ध नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तमाड़ प्रखण्ड को विभक्त कर तमाड़ पूर्वी के नाम से एक अलग प्रखण्ड के निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प सं0–5495 दिनांक–16.10.2015 द्वारा प्रखण्ड सृजन की निहित मापदण्ड एवं प्रक्रिया के तहत पंचायत की संख्या कम–से–कम 18 एवं जनसंख्या 1.25 लाख निर्धारित है, प्रश्नाधीन तमाड़ पूर्वी प्रखण्ड इस अर्हता को पूर्ण नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–06/2021/ग्रा0वि0 930 राँची, दिनांक–09·03·2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, ज्ञा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–732 दिनांक–01.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–06/2021/ग्रा0वि0 930 राँची, दिनांक–09·03·2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

09/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–06/2021/ग्रा0वि0 930 राँची, दिनांक– 09·03·2021

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

09/03/21

सरकार के अवर सचिव।

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–नं०–19 का उत्तर:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 74 वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में नगर–पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम अथवा औद्योगिक नगरी के गठन का सशर्त प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में नगर निगम नहीं बनने तथा मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगरपालिका परिषद का चुनाव नहीं होने के कारण यह क्षेत्र 14वें वित्त आयोग के करोड़ों रुपयें के अनुदान से वंचित है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमशेदपुर में नगर निगम, सशर्त औद्योगिक नगरी का गठन और मानगो एवं जुगसलाई में नगरपालिका का चुनाव कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	जमशेदपुर औद्योगिक नगरी गठन हेतु दिनांक–02.11.2020 को विभाग स्तर पर आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं टाटा स्टील लि० प्रबंधन के साथ बैठक सम्पन्न की गयी, जिसमें साधन (Modalities) तय करने के बिन्दु पर दो महीनें में प्रतिवेदन की मांग की गई। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं टाटा स्टील लि० प्रबंधन से प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः विभागीय पत्रांक–407 दिनांक–03.02.2021 द्वारा स्मारित किया गया है। मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद् में आम निर्वाचन, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अभिनिश्चय प्रक्रियाधीन होने के कारण नहीं हो सका है। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम स्तर पर उक्त कार्रवाई हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–811 दिनांक–02.03.2021 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–08/तारा०/07/2021/न०वि०आ०...907 राँची, दिनांक–08/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–538 वि०स० दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

375

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 11 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2020–21 में विधायक की अनुशंसा पर हुसैनाबद–हरिहरगंज क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में 05–05 नलकूप लगाए जाने की योजना है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि 15–फरवरी, 2021 तक एक भी नलकूप नहीं लगाए गए है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 146 (स्वी०), दिनांक– 10.02.2021 के द्वारा राज्य के सभी पंचायतों (प्रति पंचायत 05) चापाकलों / Drilled Tube Well से आच्छादित करने हेतु योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके आलोक में प्रमण्डल द्वारा चापाकल अधिष्ठापन हेतु अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में विधायक की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में 05–05 नलकूप लगाना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7 / ता०प्र०– 01–145 / 2020– 890 राँची, दिनांक :– 8/3/21
प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–534, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7 / ता०प्र०– 01–145 / 2020– 890 राँची, दिनांक :– 8/3/21
प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव / अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(378)

श्री कुमार जयमंगल, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–42" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के जैनामोड़ से फुसरो होते हुए डुमरी फोरलेन को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, यह पथ गिरिडीह जिला के डुमरी फोरलेन से बोकारो–रांची पथ को जोड़ती है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क पर भारी वाहनों से कोयले की ढुलाई होती है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भारी वाहन के आवागमन एवं अतिव्यस्त होने के कारण उक्त पथ को फोरलेन बनाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, जैनामोड़ (NH-23 पर)–फुसरो–डुमरी पथ (NH-02 पर) की कुल लंबाई–लगभग 48.00 कि०मी० है। यह पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की पथ है। वर्तमान में पथ के मजबूतीकरण का कार्य प्रगति में है। सर्वेक्षण एवं सम्भाव्यता प्रतिवेदन तथा निधि की उपलब्धता के आलोक में आगामी वर्षों में पथ की आवश्कतानुसार चौड़ीकरण कार्य कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–42/2021 921(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 735 दिनांक 01.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–42/2021 921(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–42/2021 921(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(377)

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–44" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि खरसावाँ–रड़गांव पथ में रायजामा नाला पर पुल निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खरसावाँ–रड़गांव पथ में रायजामा नाला पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, खरसावां–हुड़गदा–रायजामा–कांदरकुटी (रंगामाटी)–रड़गाँव पथ (लंबाई–29.407 कि0मी0), पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की पथ है। पथ के 15वें कि0मी0 में रायजामा नाला पर पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति के पश्चात उक्त पुल का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–46/2021 923(5) राँची/दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 903 दिनांक 03.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–46/2021 923(5) राँची/दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची /संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–46/2021 923(5) राँची/दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

378

दिनांक–10–03–2021 को श्री सोनाराम सिंकु, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या परि–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री सोनाराम सिंकु माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री चम्पई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के द्वारा परिवहन विभाग के अतिरिक्त भी अलग–अलग जगहों पर स्थानीय पुलिस को भी दो पहिया वाहनों के दस्तावेजों की जाँच हेतु उन्हें अधिकृत किया गया है;	–	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बिना वैध दस्तावेज के वाहन चलाने के लिए निर्धारित दण्ड शुल्क की वसूली सिर्फ जिला मुख्यालय स्थित परिवहन विभाग में ही किये जाने का नियम है;	–	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में जगन्नाथपुर अनुमण्डल मुख्यालय एवं अन्य विभाग स्थान पर स्थानीय पुलिस विभाग के द्वारा विशेष रूप से दोपहिया वाहनों की वैध दस्तावेजों की जाँच की जाती है और वैध दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में जिला मुख्यालय में दण्ड की राशि जमा करने के बाद ही उनके वाहन को मुक्त किया जाता है;		अस्वीकारात्मक। जगन्नाथपुर अनुमण्डल मुख्यालय एवं क्षेत्र के सभी गश्ती दल वाहनों के पुलिस पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा–183, 184 एवं 185 के तहत शक्ति प्रदत्त है, जिसके तहत् पुलिस पदाधिकारी उल्लंघन करने वाले मामलों का निष्पादन उसी स्थान पर कर सकते है। उक्त अधिनियम का सभी धाराओं के तहत किये जाने वाले Compoundable दण्ड के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर अनुमण्डल को शक्ति प्रदत्त है, जिनके द्वारा उसी स्थान पर दण्ड शुल्क वसूली करते हुए वाहनों को मुक्त किया जा सकता है। साथ ही, सम्बंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को भी उक्त अधिनियम की समस्त धाराओं के तहत् Compoundable दण्ड के लिए दण्ड शुल्क वसूली करते हुए वाहनों को मुक्त किये जाने की शक्ति प्रदत्त है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार द्वारा दण्ड की राशि की वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उसी स्थान पर राशि के जमा करने की विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?		राज्य सरकार द्वारा Spot पर ऑफलाईन दण्ड शुल्क वसूली हेतु सभी जिलों को विनिर्दिष्ट चालान रसीद पूर्व में ही विभागीय स्तर से उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही, E-Challan व्यवस्था सर्वप्रथम सम्प्रति राँची जिला में क्रियान्वित की गई है। इस व्यवस्था में Spot पर ही दण्ड वसूलने का प्रावधान है।

08/03/21
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–41/2021 274 /राँची,दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–531, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/21
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–41/2021 274 /राँची,दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/21

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

379

श्रीमती सीता सोरेन, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–16 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत धनबाद नगर निगम के वार्ड नं०–38 होरलाडीह जिसकी आबादी 4,000 (चार हजार) है, जिसमें पेयजल के लिए पूरे क्षेत्र में मात्र एक ही स्टैण्ड पोस्ट नल की व्यवस्था है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को पेयजल के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित वार्ड में आबादी के अनुसार जगह–जगह नल लगवाने एवं घर–घर पाईप लाईन से जलापूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	घर–घर जलापूर्ति हेतु के JMC Projects India Limited साथ एकरारनामा किया गया है। कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05 / वि०स० / ता०प्रा०–17 / 2021 / न०वि०आ० 944 राँची, दिनांक :– 09/03/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–727 वि०स० दिनांक–01.03.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(368)

डा० नीरा यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–पेय०–24 का उत्तर

क्र० सं०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद, झुमरीतिलैया कोडरमा नगर पंचायत तथा डोमचाँच नगर पंचायत क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति का घोर अभाव है तथा क्षेत्र में खनिज अयस्क की अधिकता और आर्सेनिक की अधिकता के कारण स्थानीय आमजनों को असुविधा होती है;	अस्वीकारात्मक। 1 झुमरीतिलैया नगर पर्षद नगर विकास विभाग के क्षेत्राधीन है। वर्तमान में नगर परिषद् के 28 वार्डों में कुल 180 नलकूप अधिष्ठापित है। साथ ही पूर्व में निर्मित पाईप जलापूर्ति योजना द्वारा आंशिक क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। 2 कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र नगर विकास विभाग के क्षेत्राधीन है। वर्तमान में 15 वार्डों में लगभग 250 अदद नलकूप अधिष्ठापित तथा आंशिक क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित पाईप जलापूर्ति योजना से शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है तथा नगर पंचायत क्षेत्र हेतु वर्तमान में नयी योजना नगर विकास विभाग द्वारा निर्माणाधीन है। 3 डोमचाँच नगर पंचायत क्षेत्र नगर विकास विभाग के क्षेत्राधीन है। वर्तमान में 14 वार्डों में लगभग 75 अदद नलकूप चालू अवस्था में है तथा 800 गृह–संयोजन में डोमचाँच ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। 4 कोडरमा जिला में जल जीवन मिशन अन्तर्गत सभी ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 161 अदद एकल ग्रामीण योजनाओं (SVS) की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है एवं 24 अदद बहु ग्रामीण योजनाओं (MVS) के सूत्रण हेतु परामर्शी की नियुक्ति कर डी०पी०आर० बनाया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के प्रखंड क्रमशः कोडरमा ग्रामीण, डोमचाँच एवं मरकच्चो आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है और पेयजल में खनिज अयस्क की मात्रा पाये जाने के कारण स्थानीय ग्रामीण शुद्ध पेयजल से वंचित है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के अधीन कोडरमा, डोमचाँच एवं मरकच्चो प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 7503 अदद जल नमूनों की जाँच की गई जिसमें कहीं भी आर्सेनिक की मात्रा मानक के ऊपर नहीं पायी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) एवं (2) में वर्णित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु जल मीनार निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 8/ता०प्र०–06/2021 – 264/SWSM रॉंची, दिनांक :– 08/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 917/वि०स०, दिनांक– 03.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 08/3/21
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 8/ता०प्र०–06/2021 – 264/SWSM रॉंची, दिनांक :– 08/03/2021

प्रतिलिपि:– सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा– 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 08/3/21
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

श्री कोचे मुण्डा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–33" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी–कोलेबिरा पथ एन0एच0ई0–75 में चैंगरजोर नदी पर पुल एवं सम्पर्क पथ निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर निर्माण कार्य 2014 में ही पूर्ण हो गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त अधिग्रहित भूमि के रैयतों का मुआवजा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि मुआवजा भुगतान हेतु विभाग के द्वारा सारी प्रक्रिया पूर्ण किया जा चुका है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों को उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रैयतों को मुआवजा भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पुल परियोजना पथ निर्माण विभाग के अधीन है, जिसे वर्ष 2016 में पूर्ण कराया गया है। भू–अर्जन मुआवजा हेतु आंशिक राशि जिला–भू–अर्जन पदाधिकारी, खूँटी को उपलब्ध करायी गयी है। अवशेष राशि उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–33/2021, 916(5), राँची/दिनांक–08/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–419, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–33/2021, 916(5), राँची/दिनांक 08/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–33/2021, 916(5), राँची/दिनांक 08/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

382

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–53 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया, पेटरवार एवं कसमार प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़नेवाली कई ग्रामीण पथों की स्थिति अत्यन्त जर्जर है, जिसके कारण प्रखण्ड मुख्यालय आने–जाने में प्राय दुर्घटनाएँ घटित हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि गोमिया प्रखण्ड के वनचतरा से चुट्टे तक 06 कि0मी0, चुट्टे से दनरा तक 07 कि0मी0 तथा पेटरवार प्रखण्ड के ओरदाना REO रोड से खैराजारा मोड़ से परसाबेड़ा तक 05 कि0मी0 और कसमार प्रखण्ड के मंजूरा मुख्य मार्ग से रामलखन टुंगरी तक 03 कि0मी0, ललमटीया बजरंगबली से कारूजारा तक 03 कि0मी0, खैराचातर PWD पथ से बगदा गुजर मोड़, भवानीपुर, बलावहियार होते हुए दुर्गापुर तक 12 कि0मी0 पथ जर्जर अवस्था में है, जिसका सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. गोमिया प्रखण्ड के वनचतरा से चुट्टे तक पथ कुल लम्बाई–05 कि0मी0 है जो मुख्यतः कच्ची सड़क है एवं सम्पूर्ण पथ वन क्षेत्र में पड़ता है। पी0एम0जी0एस0वाई0–III अंतर्गत उक्त पथ डी0पी0आर0 का सर्वे कार्य किया जा रहा है। 2. चुट्टे से दनरा तक पथ (कुल लं0–5.10 कि0मी0) का निर्माण राज्य संपोषित योजनान्तर्गत वर्ष–2020–21 में कराया गया है । उक्त पथ पक्का है एवं अच्छी अवस्था में है। 3. पेटरवार प्रखण्ड के ओरदाना आर0ई0ओ0 रोड से खैराजारा मोड़ से परसाबेड़ा तक पथ (कुल लं0–6.50 कि0मी0) है। उक्त पथ मुख्यतः कच्ची सड़क है। पी0एम0जी0एस0वाई0–III अंतर्गत उक्त पथ डी0पी0आर0 का सर्वे कार्य किया जा रहा है। 4. कसमार प्रखण्ड अन्तर्गत– मंजूरा मुख्य मार्ग से रामलखन टुंगरी तक पथ (कुल लं0–03 कि0मी0) का कुछ पथांश कच्चा है एवं वन भूमि से भी आच्छादित है। 5. ललमटीया बजरंगबली से कारूजारा तक पथ (कुल लं0–03 कि0मी0) कच्चा पथ है एवं वन भूमि से भी आच्छादित है। 6. खैराचातर पी0डब्लू0डी0 पथ से गुजर मोड़ से दुर्गापुर तक पथ (कुल लं0–12 कि0मी0) के डी0पी0आर0 का पी0एम0जी0एस0वाई0–III अंतर्गत सर्वे कार्य किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	क्र0सं0– 1, 3 एवं 6 पर अंकित पथों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0–III अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर जे0एस0आर0 आर0डी0ए0 द्वारा कार्य कराया जा सकेगा। क्र0सं0–2 में अंकित चुट्टे से दनरा तक पथ पक्का है एवं अच्छी अवस्था में है। क्र0सं0–4 एवं 5 पर अंकित पथों हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर मा0स0वि0स0 की अनुशंसा के आलोक में विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 06(वि0स0–12)–61/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)........616........ राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–545 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 09.3.21
(विपिन कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 06(वि0स0–12)–61/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)........616........ राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–06(वि0स0–12)–61/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)........616........ राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

(283)

श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 21 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हेठगढ़ा, बारूडीह, धवयडीह, पिपराजारा, मेडीयाजारा, बन्दा रहीम नगर, खन्ना मोहल्ला, गंधौनियाँ, बांसगढ़ा, हरिबांध, बुटगोढ़वा, चाड़ी, मदरसा चौक समेत कई गाँवों एवं टोलों में पेयजल की भारी किल्लत है, तथा लोग नदी, नाला, तालाब का पानी पीने के लिए विवश है;	अस्वीकारात्मक। प्रश्न में वर्णित ग्रामों में जलापूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :– <table><tr><th>क्र०</th><th>टोला</th><th>ग्राम</th><th>जनसंख्या</th><th>टोलों में चालू नलकूपों की संख्या</th></tr><tr><td>1.</td><td>हेठगढ़ा</td><td>बंदा</td><td>578</td><td>04</td></tr><tr><td>2.</td><td>बारूडीह</td><td>बंदा</td><td>410</td><td>04</td></tr><tr><td>3.</td><td>धवयडीह</td><td>बंदा</td><td>268</td><td>02</td></tr><tr><td>4.</td><td>पिपराजारा</td><td>बंदा</td><td>811</td><td>05</td></tr><tr><td>5.</td><td>मेडियाजारा</td><td>बंदा</td><td>91</td><td>02</td></tr><tr><td>6.</td><td>बंदा</td><td>बंदा</td><td>3830</td><td>15</td></tr><tr><td>7.</td><td>रहीमनगर</td><td>धारीकेनके</td><td>145</td><td>01</td></tr><tr><td>8.</td><td>खन्ना मुहल्ला</td><td>बंदा</td><td>198</td><td>02</td></tr><tr><td>9.</td><td>गंधौनिया</td><td>बंदा</td><td>92</td><td>01</td></tr><tr><td>10.</td><td>बांसगढ़ा</td><td>चाड़ी</td><td>119</td><td>03</td></tr><tr><td>11.</td><td>बुटगोढ़वा</td><td>रकुआ</td><td>356</td><td>04</td></tr><tr><td>12.</td><td>हरिबांध</td><td>हरिबांध</td><td>305</td><td>03</td></tr><tr><td>13.</td><td>चाड़ी</td><td>चाड़ी</td><td>1951</td><td>12</td></tr><tr><td>14.</td><td>मदरसा चौक</td><td>चाड़ी</td><td>242</td><td>03</td></tr></table>इसके अतिरिक्त चाड़ी–बंदा, गोला एवं लिपिया ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से बंदा, खन्ना मुहल्ला, चाड़ी, मदरसा चौक, रहीम नगर एवं बुटगोढ़वा टोलों में पेयजलापूर्ति की जा रही है। साथ ही हेठगढ़ा, बारूडीह, धवयडीह, पिपराजारा, मेडियाजारा, गंधौनिया, बांसगढ़ा, हरिबांध टोलों में एकल ग्राम योजना (SVS) से पेयजलापूर्ति किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाईप लाइन से पेयजल आपूर्ति हेतु किए गए सर्वे में कई गाँवों एवं टोलों का नाम दर्ज नहीं हो पाया है, जिसके कारण उन गाँवों एवं टोलों में पाईप लाइन पेयजल आपूर्ति योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पाएगा है;	रामगढ विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत छुटे हुए टोलों का पुनः सर्वे कराकर जल जीवन मिशन के तहत् Retrofitting एवं एकल ग्राम योजना (SVS) से पेयजलापूर्ति किये जाने के निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित वैसे सभी गाँव, जहाँ पानी की किल्लत है, वहाँ पाईप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने एवं सर्वे में छुटे हुए गाँवों में सर्वे कराकर वहाँ भी पाईप लाइन जलापूर्ति योजना का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–152/2020– 897 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–919, दिनांक–03.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–152/2020– 897 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

38

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–01 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि औद्योगिक महानगर बोकारो में अब तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनाया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या बात सही है कि बोकारो के चास में काफी घनी आबादी निवास करती है और दिनभर ट्रकों एवं लॉरी की वजह से पूरे क्षेत्र में जाम लगा रहता है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अक्सर दुर्घटनाएँ भी घटित होते रहती हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। चास नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान में नये एन०एच० 23 और एन०एच० 32 का निर्माण किया गया है। इससे चास शहर में बड़े वाहन ट्रक/लॉरी के आवागमन में कमी आई है। जाम की स्थिति में भी गिरावट आयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार व्यापक जनहित में चास से सटे फोरलेन अथवा जहाँ भी जमीन की उपलब्धता हो वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में बोकरो में बड़े वाहनों के आवागमन एवं ठहराव के संबंध में वस्तुस्थिति के जांचोपरान्त समुचित निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/न०वि०/तारांकित–01/2021 913   राँची, दिनांक :– 08/03/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–75 दिनांक–17.02.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विधायी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.3.2021

सरकार के अवर सचिव।

385.

श्री भानु प्रताप शाही, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–30" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र (गढ़वा जिला) अन्तर्गत धुरकी प्रखण्ड के बालचौरा में कनहर नदी पर दो राज्यों (झारखण्ड–छत्तीसगढ़) को जोड़ने वाला पुल का निर्माण दो वर्ष से कराया जा रहा है; 2. क्या यह बात सही है कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी पुल का कार्य पुरा नहीं हुआ, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कनहर नदी पर पुल निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	गढ़वा जिलान्तर्गत धुरकी ब्लॉक के बलचौरा गाँव में कनहर नदी पर पुल का निर्माण (पहुँच पथ सहित), पथ निर्माण की स्वीकृत योजना है। जिसके लिए संवेदक के साथ एकरारनामा किया जा चुका है। कार्यान्वयन हेतु 3.195 हेक्टयर वन भूमि के अपयोजन की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है। वन विभाग की स्वीकृति के पश्चात् पुल एवं पहुँच पथ का निर्माण पूर्ण करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकःप०नि०वि०–11–ता०प्र०–30/2021, 930(S), राँची/दिनांक–08/03/21

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–417, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकःप०नि०वि०–11–ता०प्र०–30/2021, 930(S), राँची/दिनांक–08/03/21

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

08/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकःप०नि०वि०–11–ता०प्र०–30/2021, 930(S), राँची/दिनांक–08/03/21

प्रतिलिपिः– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

08/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

386

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के बुढ़मू प्रखण्ड के अंतर्गत बुढ़मू उनेडंडा मुख्य पथ से चकमे (सतपारा) रौल, लवगाड़ा, महादेव टोला, बगदा, हेंठ बगदा, बेंती होते हुए राँची पतरातु मुख्य पथ के तालाटांड़ के पास मिलता है, जिसकी स्थिति काफी जर्जर हो जाने के कारण आवागमन बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ बुढ़मू से पतरातु की दूरी महज 20 कि०मी० है, जिसके बन जाने से आवागमन में काफी सुविधा होगी ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का कालीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अगले वित्तीय वर्ष में विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–49/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)......494.....राँची, दिनांक 26.02.2021
प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–71 दिनांक–17.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। -

रंजीत रंजन 26/2/21
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–49/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)......494.....राँची, दिनांक 26.02.202
प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 26/2/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–49/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....494...राँची, दिनांक 26.02.2021
प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 26/2/21
सरकार के उप सचिव।

327.

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–63

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1 क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियो प्रखंड के (1) N.H सड़क बाँझी से सटे मड़ुआ नदी में उच्चस्तरीय पुल एवं (2) N.H सड़क बाँझी संथाली टोला से केन्दुआ के बीच केन्दुआ नदी में उच्चस्तरीय पुल नहीं होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 (एक) में वर्णित सभी ग्राम अनुसूचित जनजाति पहाड़िया बाहुल्य है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 (एक) में वर्णित दोनों गाँवों के लोगों को आवागमन के लिए उच्चस्तरीय पुल का निर्माण की स्वीकृति देने का विचार चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–31/2021/ग्रा०का० 574 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र० – 745 वि०स० दिनांक – 01.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–31/2021/ग्रा०का० 574 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–31/2021/ग्रा०का० 574 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

(388)

दिनांक–10.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री दिनेश विलियम मरांडी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–47 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री दिनेश विलियम मरांडी, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला का लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड एक अनु0 जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अमड़ापाड़ा प्रखण्ड के न्यूकठालडीह पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से भाया बारगो होते हुए गोड्डा सीमा तक लगभग 10 कि0मी0 सड़क एवं पूल अत्यंत जर्जर स्थिति में है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि हिरणपुर प्रखण्ड के तुरसा टोला मोड़ से बड़तल्ला जामबाद होते हुए पलनिया तक लगभग 10 कि0मी0 सड़क अति जर्जर स्थिति में है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है,हाँ तो कब तक,नहीं तो क्यों?	अमड़ापाड़ा प्रखण्ड के न्यूकठालडीह पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से भाया बारगो होते हुए गोड्डा सीमा तक पथ PMGSY-III अन्तर्गत Candidate पथ के रूप में चयनित है। भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत कार्य कराया जा सकेगा। मा0स0वि0स0 के अनुशंसा के आलोक में राज्य संपोषित योजना अन्तर्गत तुरसा टोला मोड़ से बड़तल्ला जामबाद होते हुए पलनिया तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–91/2021 ग्रा0का0मा0 581 राँची/दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–518, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–91/2021 ग्रा0का0मा0 581 राँची/दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–91/2021 ग्रा0का0मा0 581 राँची/दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

389

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 02 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के मुरहू प्रखण्डान्तर्गत मुरहू बस्ती में पेयजल हेतु तीन वर्ष पूर्व योजना स्वीकृत की गई थी, जिसे जून, 2020 में पूर्ण किया जाना था;	स्वीकारात्मक। मुरहू ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक– 99 (स्वी०), दिनांक– 04.12.2017 के द्वारा दी गयी थी, जिसके एकरारनामा की तिथि– 21.05.2018 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि– 20.05.2020 थी। कोविड–19 में लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य में आई बाधा के फलस्वरूप कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। वर्त्तमान में योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं गृह–संयोजन का कार्य प्रगति पर है योजना को शीघ्र ही पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि पेयजल योजना पूर्ण नहीं होने के कारण मुरहू बस्ती के निवासियों के पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में मुरहू बस्ती के कुल 4,391 आबादी के लिए 19 अदद् नलकूप तथा 03 अदद् सोलर आधारित जलापूर्ति योजना से पेयजलापूर्ति की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बस्ती में पेयजल योजना को शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–139/2020– 889 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–258, दिनांक–24.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–139/2020– 889 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

296.

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–18

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के पथलगड्डा प्रखण्ड तुनगाँव पंचायत के सनगडवा नदी, गिधौर प्रखण्ड के मझगाँवा पंचायत के घटेरी नदी एवं जरजरा नदी, टण्डवा प्रखण्ड के राहम पंचायत के कुहुबाद नदी पर मयूरहंड प्रखण्ड के तिलेटांड के बराकर नदी पर पुल नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि नदी पर पुल नही रहने के कारण वर्णित प्रखण्ड के हजारों नागरिकों को बरसात के दिनों में काफी कठिनाई होती है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त सभी प्रखण्डों में पुल निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–18/2021/ग्रा0का0 546 राँची, दिनांक–05.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 296 वि0स0 दिनांक – 24.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–18/2021/ग्रा0का0 546 राँची, दिनांक–05.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–18/2021/ग्रा0का0 546 राँची, दिनांक–05.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/21
सरकार के अवर सचिव

391.

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–07 के उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि पलामू प्रमण्डल के भण्डरिया प्रखण्ड जो गढ़वा जिलान्तर्गत है के ग्राम–टेहरी, डूमरकेता होते सरूवत तक पहुँचनेवाले पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है, यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है;	स्वीकरात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ पूर्णतः पलामू व्याघ्र क्षेत्र में आता है, अतः वन विभाग से अनापत्ति तथा मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :–05 (वि०स०–12)– 62/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......469.....राँची, दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–295, दिनांक–24.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 2/3/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–62/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०म.......469.....राँची, दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 2/3/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–62/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा......469......राँची, दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 2/3/21

सरकार के उप सचिव।

(392)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–14 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोड्डा के कार्यपालक अभियंता श्री अरूण कुमार सिंह ने अपने चहेते संवेदक श्री नवीन चन्द ठाकुर सुशील कुमार भगत तथा कंस्ट्रक्शन को बोरिंग का कार्य आवंटित कर करोड़ो रूपये का बंदरबाँट किया गया है ;	**अस्वीकारात्मक।** संवेदक श्री नवीन चन्द्र ठाकुर, श्री सुशील कुमार भगत तथा Ajoy Pradhan Buildcon Pvt. Ltd. गोड्डा को बोरिंग का कार्य कार्यपालक अभियंता के द्वारा आवंटित नहीं किया गया है, बल्कि अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, देवघर द्वारा e-tender के माध्यम से निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुए निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि बोरिंग कार्य की जाँच से संबंधित विषय पत्रांक–DPS/0177/2020, दिनांक–01.03.2020 द्वारा संज्ञान में आने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया है एवं जाँच नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदकों को पूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है ;	**अस्वीकारात्मक।** मा०स०वि०स० श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह के पत्रांक–DPS/0177/2020, दिनांक–01.09.2020 द्वारा संबंधित मामला के संज्ञान में आने के पश्चात् विभागीय आदेश सं0–146 दिनांक–22.09.2020 द्वारा मामले की जाँच हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, दुमका प्रक्षेत्र, दुमका की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त परिलक्षित अनियमितता के संबंध में संबंधित आरोपी पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, गोड्डा से स्पष्टीकरण पृच्छा किया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोड्डा द्वारा कराये गये कार्य का वास्तविक मापी के आधार पर कार्यों का Running Bill का भुगतान किया गया है। अंतिम मापी एवं भुगतान लंबित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय की उच्च स्तरीय जाँच कराकर कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–4/वि०स०–1001/2021 826 राँची, दिनांक– 5/3/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–524 दिनांक– 26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2021

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/वि०स०–1001/2021 826 राँची, दिनांक– 5/3/21

प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा–5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2021

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

393

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–37

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा अंतर्गत भालजोरिया स्थित श्मसान घाट काली मंदिर के पास फरका नदी पर अवस्थित पुल प्रखण्ड निरसा के दक्षिण क्षेत्र के ग्रामीणों के आवागमन का एक मात्र साधन है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0) के ज्ञापांक सं0–7 (वि0स0)–16 / 2020 / ग्रा0का0 407, राँची, दिनांक–02.03.2020 द्वारा कार्यपालक अभियंता ग्रा0वि0 विशेष प्रमण्डल को जीर्णोद्धार / मरम्मति कार्य 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उपर्युक्त निर्देश के लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी जीर्णोद्धार / मरम्मति का कार्य अबतक नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुल का जीर्णोद्धार / मरम्मति कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2009 में पूर्ण हो गया है। पुल के जीर्णोद्धार एवं मरम्मति हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद से प्राक्कलन की माँग की गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–26 / 2021 / ग्रा0का0 577 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 516 वि0स0 दिनांक – 26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–26 / 2021 / ग्रा0का0 577 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–26 / 2021 / ग्रा0का0 577 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

(394)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–23 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जे०एम०सी० प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड संदर्भ द्वारा संख्या–199, दिनांक–15.01.2021, संदर्भ संख्या–122, दिनाक–14.07.2020 तथा सदंर्भ संख्या–104, दिनांक–15.06.2020 द्वारा तकनीकी सदस्य, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद को Intake well, Pump house, Sumps, ESR and Balance WTPs निर्माण प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जमीन के लिए पत्राचार किया गया है?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित कार्यों के लिए जे०एम०सी० प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड तथा झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद के बीच ठेका समझौता हुआ था, जिसका संदर्भ संख्या–23/2019–2020 है?	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार झरिया में नागरिकों को शुद्ध पेयजल सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से जे०एम०सी० प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड तथा झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद के बीच हुए एकरारनामा के अनुरूप कार्यों को पूरा करवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	Intake well, Pump house, Sumps, WTP एवं ESR के लिए झमाडा की जमीन उपलब्ध करायी गयी है। PIT Water के WTP हेतु BCCL ने अपने पत्रांक– BCCL/9/Estate/2020/202 दिनांक–30.11.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि जमीन कोल बियरिंग एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र उल्लेखित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में असमर्थता प्रकट की है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/वि०स०/ता०प्र०–16/2021/न०वि०आ० 906 राँची, दिनांक :– 08/03/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–743 वि०स० दिनांक– 01.03.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.2021

सरकार के अवर सचिव।

395

श्री इन्द्रजीत महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–77

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ढोखरा पंचायत का थाना एवं अंचल बलियापुर पड़ता है, जबकि प्रखण्ड पुटकी (धनबाद) है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि ढोखरा पंचायत से धनबाद प्रखण्ड के नव निर्मित प्रखण्ड मुख्यालय, पुटकी की दूरी लगभग–22 कि०मी० है;	स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि ढोखरा पंचायत वासियों को अपनी समस्याओं के निष्पादन हेतु धनबाद मुख्य शहर की घनी आबादी एवं केन्दुआ करकेन्द्र बाजार होकर नये प्रखण्ड मुख्यालय जाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पंचायत को जनहित में बलियापुर प्रखण्ड में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	एतद् सम्बन्धी विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त अग्रत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि०स०–09/2021/ग्रा०वि० 929 राँची, दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झा० वि० स० सचिवालय को उनके ज्ञाप–912 दिनांक–31.03. 2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 09/03/21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि०स०–09/2021/ग्रा०वि० 929 राँची, दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 09/03/21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि०स०–09/2021/ग्रा०वि० 929 राँची, दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 09/03/21
सरकार के अवर सचिव।

(396)

दिनांक–10.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री नारायण दास द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–60 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
.	श्री नारायण दास, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर विधान सभा के प्रखंड देवघर अंतर्गत खिजुरिया मोड़ से (असनाधाम) बेहरोकी होते हुए मलसुनिया तक R.E.O पथ, सातर मुख्य पथ से एयरपोर्ट चहारदिवारी होते हुए जोगडीहा तक R.E.O पथ तथा संग्राम लोढ़िया मुख्य पथ से मालपुर मिश्रजमुआ तक R.E.O पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है .	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के प्रखंड मोहनपुर अंतर्गत चकरना मुख्य पथ से औंगेय गांव होते हुए देवघर–दुमका मुख्य पथ तक R.E.O पथ, जोगिया मुख्य पथ से झिल्लीघाट भाया बुढ़ीवारी होते हुए पोस्तवारी तक R.E.O पथ तथा तपोवन मुख्य पथ से चिरधनियाँ कलिया दासडीह होते हुए बलियाचौकी मुख्य पथ तक R.E.O पथ स्थिति जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड अन्तर्गत कपसिया स्कूल से मोहनातरी एवं गमरडीहा गांव तक R.E.O पथ, लोहरी गांव से शंकरपुर स्टेशन तक R.E.O पथ तथा मुख्य पथ जीतजोरी से सुरियाबांधी सिररिया दास टोला तक R.E.O पथ जर्जर स्थिति में है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार खण्ड (1), (2) एवं (3) में वर्णित प्रखंडों के R.E.O पथों का अविलंब प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कराते हुए तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	मा०स०वि०स० से विवर्णित पथों की अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–90 / 2021 ग्रा०का०मा०.....582.....राँची / दिनांक– 08.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–730, दिनांक–01.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–90 / 2021 ग्रा०का०मा०.....582.....राँची / दिनांक– 08.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–90 / 2021 ग्रा०का०मा०.....582.....राँची / दिनांक– 08.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री अमर कुमार बाउरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 18 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बोकारो जिले के बिजुलिया पंचायत में वर्ष– 2018–19 में पेयजल जलापूर्ति योजना के तहत कार्य प्रारंभ किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि संवेदक के द्वारा कार्य काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिसके कारण कार्य अभी तक अपूर्ण स्थिति में है;	वस्तुस्थिति यह है कि बिजुलिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना का एकरारनामा दिनांक– 09.05.2018 को किया गया था जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि– 08.05.2020 थी। निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र देर से प्राप्त होने तथा कोविड–19 महामारी के कारण योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है। योजना का क्रियान्वयन अंतिम चरण में है तथा योजना पूर्ण कर शीघ्र ही जलापूर्ति चालू कर दिया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि बिजुलिया पंचायत के दुधरी मौजा के चिकनटाँड टोला में लगभग 50 घरों को इस योजना से आच्छादित नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। स्वीकृत योजना में चिकनटाँड़ टोला को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि रेलवे लाईन के दूसरी तरफ तथा ऊंचाई पर बसे होने से अत्याधिक निर्माण लागत होने के कारण जलापूर्ति योजना का निर्माण वित्तीय रूप से अव्यवहारिक है। वर्त्तमान में 14वें वित्त आयोग से निर्मित 02 (दो) अदद् सोलर आधारित जलापूर्ति योजना से ग्रामीणों को पेयजलापूर्ति प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त SVS (Single Village Scheme) योजना का निर्माण कर सभी घरों को FHTC (Functional Household Tap Connection) के माध्यम से पेयजलापूर्ति की जायेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार बिजुलिया जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू कराते हुए संवेदक पर उचित कार्रवाई करने एवं इस योजना से चिकनटाँड के ग्रामीणों को भी आच्छादित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। वर्त्तमान में बिजुलिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना में चिकनटाँड़ टोला को शामिल करने की कोई योजना नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–150/2020– 892 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–918, दिनांक–03.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2021

(रजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(558)

डॉ० इरफान अंसारी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–19" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत रूपनारायणपुर से बाजरा घाट भाया मिहिजाम, जामताड़ा, सोनबाद NH419 पथ का निर्माण एवं जामताड़ा से बजरा घाट शेष भाग का चौड़ीकरण कार्य नहीं होने से वाहनों का आवागमन बाधित रहता है; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त घाट में रजिया नदी पड़ता है, जिसमें पुल निर्माण नहीं होने से बरसात में आवागमन बन्द रहता है; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क एवं पुल के निर्माण होने से धनबाद की दूरी अत्यंत ही कम समय में पूरी की जा सकेगी; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं पुल का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–419(चितरंजन–जामताड़ा–गोविन्दपुर) है। जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सम्पत्ति है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–419 के विकास की योजना, मंत्रालय के Annual Plan FY 2021-22हेतु प्रस्तावित है। पथ के 2-lane with paved shoulderमें विकास (प्रश्नगत् पुल निर्माण सहित) हेतु Alignmentका निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प०नि०वि०–11–ता०प्र०–19/2021, 925(S), राँची/दिनांक–08/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–412, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प०नि०वि०–11–ता०प्र०–19/2021, 925(S), राँची/दिनांक–08/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प०नि०वि०–11–ता०प्र०–19/2021, 925(S), राँची/दिनांक–08/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

399

डॉ सरफराज अहमद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–नं०–22 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रांची शहर अवस्थित वार्ड सं०–37 (old) वर्त्तमान न्यू वार्ड संख्या–36, न्यू पुंदाग एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सेल सिटी, न्यू पुंदाग के रोड नं०–9 से एच०ई०सी० साईट–4 पुल तक जर्जर सड़क होने के कारण आम नागरिकों को आवागमन में काफी असुविधा होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का कालीकरण एवं नाला का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सड़क एवं नाली निर्माण का प्राक्कलन तैयार करने हेतु कनीय अभियंता को निर्देशित किया गया है। जिसके उपरान्त निगम परिषद् की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जायेगा। स्वीकृति के पश्चात् योजना का क्रियान्वयन क्रमशः शहरी परिवहन एवं नागरिक सुविधा मद से किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/वि०स०/ता०प्र०–15/2021 न०वि०आ०911 राँची, दिनांक– 08/03/21

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–725 वि०स० दिनांक–01.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.2021
सरकार के अवर सचिव।

(2001)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 03 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखण्ड मुख्यालय में बिरनी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना पाईप क्षतिग्रस्त होने से योजना 3 साल से बंद है, जबकि पेयजल संकट से ग्रसित मरकोडीह गाँव को अभी तक उससे जोड़ा नहीं गया है;	स्वीकारात्मक। बिरनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण वर्ष 2011–12 में किया गया था जिसके चालू होने के उपरान्त पथ चौड़ीकरण के क्रम में पथ प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा वर्ष 2013–14 में पाईप लाईन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके कारण जलापूर्ति बंद है। योजना को पुनः चालू करने हेतु कई बार पथ निर्माण विभाग से प्राक्कलित राशि रूपये 201.498 लाख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है जो अबतक अप्राप्त है। जलापूर्ति योजना चालू होने एवं पानी की उपलब्धता के आधार पर मरकोडीह को पाईप लाईन से जोड़ने पर विचार किया जा सकेगा। वर्तमान में बिरनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत आच्छादित ग्रामों में जलापूर्ति की स्थिति निम्न है :–

क्र०	योजना का नाम	आच्छादित ग्राम	जनसंख्या (2011)	चालू नलकूप की संख्या
1.	बिरनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना	सिमराढाब	1917	39
2.		बनपुरा	422	05
3.		नावादा	583	11
4.		जुरपा	342	10
5.		मोंगरा	520	09
6.		बरमसिया	947	16
7.		बिरनी	1491	18
8.		पलौंजिया	847	17
9.		जीतकुण्डी	1144	06
10.		बिराजपुर	1085	12
11.	अनाच्छादित ग्राम	मरकोडीह	618	06

2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिरनी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को पुनः प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–140/2020– 894 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–257, दिनांक–24.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

402

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–36" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हरिहरगंज प्रखंड मुख्यालय एन०एच०–98 के किनारे अवस्थित है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हरिहरगंज बाजार क्षेत्र में हमेशा सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमलोगों का जनजीवन प्रभावित रहता है ; 3. क्या यह बात सही है कि हरिहरगंज को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु बाईपास सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत हरिहरगंज में बाईपास सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय राजमार्ग-98सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सम्पत्ति है एवं वर्तमान में यह NHAI के अधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग-98के कि०मी० 23.284 से 57.079 तक फोर लेनिंग कार्य, हरिहरगंज–बाईपास तथा छत्तरपुर बाईपास का निर्माण NHAI द्वारा अनुमोदित है। हरिहरगंज बाईपास के निर्माण हेतु संवेदक के साथ एकरारनामा किया जा चुका है तथा नवंबर 2022 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–36 / 2021 919(5) राँची / दिनांक 08/03/21
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 513 दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–36 / 2021 919(4) राँची / दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–36 / 2021 919(5) राँची / दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

402

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–74

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
01– क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पाटन प्रखण्ड के ग्राम कुम्हवा एवं बंजारी के बीच जिजोई नदी पर पुल नहीं होने से आवागमन में असुविधा होती है एवं खासकर बरसात के दिनों में उक्त ग्राम का सम्पर्क प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता है;	स्वीकारात्मक।
02– क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के अतिउग्रवाद प्रभावित प्रखण्ड नौडिहा बाजार के पंचायत विशुनपुर के ग्राम मायापुर में सोरहर मोरहर नदी पर पुल न होने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) तथा खण्ड (2) में वर्णित प्रखण्ड अन्तर्गत नदी पर एप्रोच पथ सहित उच्च–स्तरीय पुल के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–33/2021/ग्रा0का0 576 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 911 वि0स0 दिनांक – 03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–33/2021/ग्रा0का0 576 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–33/2021/ग्रा0का0 576 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

(404)

डॉ० मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–नं०–08 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग नगर निगम (तत्कालीन नगरपालिका) क्षेत्र अंतर्गत मौजा–हजारीबाग, थाना संख्या–140 का जमाबंदी पंजी एवं निबंधित कबूलियत पट्टा पर वर्ष–2016 के पूर्व से ही उक्त निगम का स्वामित्व रहा है तथा उक्त मौजा व थाना क्षेत्र की भूमि का दाखिल खारिज एवं लगान रसीद भी काटने का अधिकार उक्त निगम द्वारा किया जाता था, जिसके कारण उक्त क्षेत्र की भूमि से संबंधित सारी मूल कागजात उक्त निगम कार्यालय में संधारित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत कुछ वर्षों से खण्ड–01 में वर्णित क्षेत्र मे रहनेवाले लोगों के भूमि दाखिल खारिज एवं लगान रसीद सरकार एवं स्थानीय पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण कई वर्षों से नहीं काटी जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और संबंधित पदाधिकारियों द्वारा उक्त मामले में वर्षों से सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दाखिल खारिज एवं लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई स्थगित रहने के बिन्दु पर विभागीय संचिका–08/निकाय/106/2017/न०वि०आ० परामर्श हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को दिनांक–04.12.2020 को पृष्ठांकित की गई है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक–620/रा० दिनांक–18.02.2021 द्वारा यह सूचना प्राप्त है कि संदर्भित विषय पर उपायुक्त, हजारीबाग से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल प्रभाव से लगान रसीद कटवाने का निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त अंकित विभागीय संचिका में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से परामर्श प्राप्त होने पर दाखिल खारिज एवं लगान रसीद निर्गत करने का कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–08/तारा०/02/2021 न०वि०आ० 823 राँची, दिनांक–02/03/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–279 वि०स० दिनांक–24.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.2021

सरकार के अवर सचिव।

rk_D_2021_Vidhan Sabha_31

श्री विनोद कुमार सिंह माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला उग्रवाद प्रभावित एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत चिन्हित है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में अभी भी 315 गाँव एवं टोला में पक्की सड़क नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक विशेष अभियान चला कर उक्त 315 गाँव एवं टोला को पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गिरिडीह जिला में अनजुड़े बसावटों वाले गाँव एवं टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–60/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......615......राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–291 दिनांक–24.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विपिन
9.3.21
(विपिन कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–60/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......615......राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

विपिन 9.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि०स०–12)–60/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......615......राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

विपिन
9.3.21
सरकार के अवर सचिव।

406

दिनांक–10.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–42 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
.	श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत सोनुवा प्रखण्ड के बारी पंचायत में गजपुर लाइब्रेरी घर से अनु0ज0जा0 बस्ती तक सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है.	आंशिक स्वीकारात्मक। पथ का पथांश कहीं–कहीं जर्जर है, जहाँ मरम्मति की आवश्यकता है।
2.	क्या यह बात सही है कि सड़क जर्जर रहने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है.	आंशिक स्वीकारात्मक। पथ का मरम्मति कार्य वर्ष 2014 में कराया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक,नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–93 / 2021 ग्रा0का0मा0 605 राँची / दिनांक– 09.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–522, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–93 / 2021 ग्रा0का0मा0 605 राँची / दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

09.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–93 / 2021 ग्रा0का0मा0 605 राँची / दिनांक– 09.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

09.03.21
सरकार के अवर सचिव।

1107

दिनांक–10.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–32 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखंड–शिकारीपाड़ा व प्रखंड दुमका अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के आमलोगों को पेशा खेती व मजदूरी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखंड शिकारीपाड़ा के ग्राम–बरमसीया से शहरजोरी से ढाका तक P.W.D. रोड लगभग 12 (बारह) K.M. पथ का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस पथ की वास्तविक लम्बाई–6.100 कि0मी0 है, जिसका सुदृढ़ीकरण कार्य राज्य संपोषित योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में कराया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के क्षेत्र अंतर्गत 30 तीस गाँव टोला अवस्थित है तथा आम अवाम को पथ नहीं रहने के कारण काफी तकलीफ उठाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस पथ के रेखांकन में कुल छः (6) गाँव अवस्थित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड–शिकारीपाड़ा के ग्राम–बरमसीया से शहरजोरी एवं ढाका तक 12 K.M. P.W.D पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य राज्य संपोषित योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में कराया गया है। वर्तमान में पथ की स्थिति अच्छी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–89/2021 ग्रा0का0मा0.....583.....राँची/दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–420, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–89/2021 ग्रा0का0मा0.....583.....राँची/दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–89/2021 ग्रा0का0मा0.....583.....राँची/दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

408

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–69 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी प्रखण्ड अन्तर्गत तेतराई से कसमार भाया सोनपुरा पथ लगभग 15 कि०मी० अत्यंत जर्जर स्थिति में है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि सड़क के जर्जर होने के कारण आम नागरिकों का आवागमन दुरूह होने के साथ–साथ किसानों को अपनी फसल मुख्य बाजार तक पहुँचाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मति कराकर पांकी, तरहसी एवं मनातु प्रखण्ड के प्रभावित गाँवों को प्रखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ PMGSY-III योजना अन्तर्गत प्रस्तावित है। उक्त के ऑनलाईन चयन प्रक्रिया पूरा होने पर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :–05 (वि०स०–12)–98 / 2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 601 राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–908, दिनांक–03.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–98 / 2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०म 601 राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–98 / 2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा 601 राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा–3, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/21

सरकार के उप सचिव।

श्री रामचन्द सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 22 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड में गर्मी के दिनों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण स्थानीय प्रखण्ड वासियों को पेयजल की घोर किल्लत का सामना करना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि बरवाडीह प्रखण्ड अन्तर्गत विभिन्न पंचायतों का जल स्तर गर्मी के दिनों में औसतन 18 मी० रहता है। पंचायत खुर्रा, छिपादोहर एवं मंगरा के कुछ क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में जलस्तर 20 मी० रहता है। इन स्थलों पर आवश्यकतानुसार राईजर पाईप की वृद्धि कर जलापूर्ति की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित तथ्यों के नद्देनजर कोयल नदी से बरवाडीह, खुर्रा, छेछा, मंगरा, हुक्कामाड़ एवं छिपादोहर पंचायत के सभी ग्रामों एवं औरंगा नदी से पोखरी कला, केचकी, बेतला पंचायत के सभी ग्रामों में पाईप लाईन जलापूर्ति योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या का निदान किया जा सकता है;	स्वीकारात्मक। बरवाडीह प्रखण्ड में 02 (दो) अदद वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है :– (1) बरवाडीह एवं आसन्न ग्रामों की ग्रामीण जलापूर्ति योजना :– स्त्रोत– उत्तरी कोयल नदी आच्छादन – 07 पंचायत एवं 28 गाँव कुल जनसंख्या – 46980 (वर्ष 2011 के अनुसार) (2) केड़ एवं आसन्न ग्रामों की ग्रामीण जलापूर्ति योजना :– स्त्रोत– औरंगा नदी आच्छादन – 04 गाँव कुल जनसंख्या – 6115 (वर्ष 2011 के अनुसार) छिपादोहर पंचायत के सभी ग्रामों को SVS (एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना) से आच्छादित किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार दोनों नदियों से उक्त सभी ग्रामों में पेयजल पाईप लाईन जलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–153/2020– 895 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–920, दिनांक–03.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–153/2020– 895 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(410)

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 17 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा सिकटिया डैम से प्रखण्ड सारठ के ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति हेतु योजना का प्रस्ताव प्रस्तावित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल देवघर के अन्तर्गत DPR तैयार कर विभागीय सचिव को स्वीकृति हेतु उपलब्ध करा दिया गया है;	पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मधुपुर के अधीन सम्पूर्ण सारठ प्रखण्ड की जलापूर्ति योजना से संबंधित DPR तैयार कर लिया गया है जिसकी जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सारठ वृहद ग्रामीण जलापूर्ति का कार्य कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–148/2020– 893 राँची, दिनांक :– 8/3/21
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–728, दिनांक– 01.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/08/2021
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–148/2020– 893 राँची, दिनांक :– 8/3/21
प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/08/2021
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री वैधनाथ राम, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–28 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स 08.38/रू० प्रति वर्ग फीट की दर से वसूली की जा रही है, जबकि तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार एवं नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में दिनांक–18.07.2019 को 03.00/रू० प्रति वर्ग फीट की दर से लेने का निर्णय लिया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जैसे छोटे नगर पंचायत के समकक्ष सरायकेला, राजमहल, बासुकीनाथ आदि जगहों पर 04.00/रू० प्रति वर्ग फीट की दर से होल्डिंग टैक्स लिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त छोटे नगर पंचायतों की तरह ही लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में भी कम दर पर टैक्स वसूली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लातेहार नगर पंचायत की दिनांक–18.07.2019 को सम्पन्न बोर्ड बैठक में पारित निर्णय तदानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक–461 दिनांक–18.07.2019 द्वारा संशोधित वार्षिक किराया मूल्य 03.00/रू० प्रति वर्ग फीट अपीलीय प्राधिकार, (उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी) लातेहार के न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण अपीलीय प्राधिकार, (उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी) लातेहार के न्यायालय में मामला लंबित है। अपीलीय प्राधिकार का निर्णय प्राप्त होने के उपरांत वार्षिक किराया मूल्य संशोधित की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–8/तारा०/10/2021/न०वि०आ० 910 रॉंची, दिनांक :– 08/03/21

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–893 वि०स० दिनांक–03.03.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.2021

सरकार के अवर सचिव।

412.

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–67 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री अमर कुमार बाउरी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम :– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के अतिमहत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का चयन आर्थिक सर्वेक्षण एवं आम सभा के माध्यम से किया जाता है,	**स्वीकारात्मक।** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत लाभुकों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आँकड़ों के आधार पर ग्राम सभा से पारित पंचायतवार (कोटिवार) प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चंदनकियारी के ग्राम–खेराबेड़ा, पारबहाल के निवासी कृष्ण कुमार पाण्डेय, आई०डी० सं०–1620510, क्रम सं०–135 का चयन इस योजना के तहत किया गया है तथा इन्हें प्रथम किस्त के रूप में 45 हजार रूपये का भुगतान किया गया है,	**आंशिक स्वीकारात्मक।** बोकारो जिला के चन्दनकियारी के ग्राम–खेड़ाबेड़ा, पारबहाल के निवासी कृसोन्दु पाण्डेय उर्फ कृष्ण कुमार पाण्डेय, आई०डी० सं०–1620510 का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत किया गया है। साथ ही श्री पाण्डेय को प्रथम किस्त की राशि के रूप में रू० 40,000/– का भुगतान किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण इनका नाम रिमान्ड के तहत हटा दिया गया है इस कारण द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया जा रहा जबकि श्री पाण्डेय सभी अर्हता पूरी करते हैं,	**अस्वीकारात्मक।** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त परिवाद पत्र की जाँच जिला स्तरीय जाँच दल द्वारा करायी गयी। जाँच में यह पाया गया कि श्री पाण्डेय के आवास चयन में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई है। श्री पाण्डेय का पूर्व से पुश्तैनी घर में पक्का आवास प्राप्त है। उक्त के आधार पर श्री पाण्डेय को ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात अयोग्य मानते हुए रिमाण्ड की कार्रवाई की गई है। श्री पाण्डेय को देय राशि की वसूली प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन्हें अविलम्ब द्वितीय किस्त का शेष बकाया राशि का भुगतान करने एवं नाम हटाने के दोषियों पर उचित कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

09/03/2021.
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–21/2021– 915 राँची, दिनांक :– 09.03.2021

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

09/03/2021
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–21/2021– 915 राँची, दिनांक :–09·03·2021

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

09/03/2021.

सरकार के विशेष सचिव।

(413)

श्री इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–न०–10 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। भूमि अतिक्रमण होने के कारण केवल चहारदीवारी का निर्माण कराया गया है। मधुपुर नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु डी०पी०आर० 15वें वित्त आयोग के तहत् तैयार किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त बसस्टैंड में चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण कार्य किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बस स्टैण्ड की 12.50 एकड़ भूमि में से 1.50 एकड़ भूमि पर स्वतंत्र योजना के रूप में चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि बस स्टैंड में चिल्ड्रन पार्क के निर्माण के फल स्वरुप इससे ना तो बस पड़ाव की सार्थकता होगी ना ही चिल्ड्रन पार्क सार्थक एवं उपयोगी साबित होगा एवं बच्चों का जीवन भी खतरे में होगा;	अस्वीकारात्मक। 12.50 एकड़ भूमि में लगभग 08 एकड़ भूमि में बस पड़ाव प्रस्तावित है। 1.50 एकड़ भूमि में चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण किया गया। आने–जाने के दोनों का रास्ता अलग–अलग है, इससे बच्चों के जीवन पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थिति में बस स्टैंड में बने चिल्ड्रन पार्क को एक स्वतंत्र इकाई एवं बस स्टैंड को एक स्वतंत्र इकाई देने का विचार रखती है, हां तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। बस स्टैण्ड एवं चिल्ड्रेन पार्क की योजनाएँ स्वतंत्र इकाई के रूप में निर्मित की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–02/वि०मं०प्र०–05 (ता०–प्र०)/2021 न०वि०आ० 915 राँची, दिनांक– 08/03/21

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–536 वि०स० दिनांक–10.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.2021

सरकार के अवर सचिव।

(614)

दिनांक–10.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पथ–25 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के पाटन प्रखण्ड के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र में पचकेड़िया पी०डब्ल्यू०डी० सड़क से दिपौवा, दुईया, अलगडीहा होते हुए नावाजयपुर बस स्टैंड पी०डब्ल्यू०डी० सड़क तक सड़क काफी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पथ का पथांश कहीं–कहीं जर्जर है, जहाँ मरम्मति की आवश्यकता है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित सड़के के जीर्ण–शीर्ण (जर्जर) अवस्था में रहने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन पथ का पथांश पचकोड़िया से रोल लंबाई–5.00 कि०मी० का निर्माण वर्ष 2016–17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कराया गया है। शेष पथ नवाज पथ से कासाबार का निर्माण वर्ष 2014–15 में राज्य संपोषित योजना अन्तर्गत कराया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित सड़क का मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–107 / 2021 ग्रा०का०मा०.....614.....राँची / दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–413, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–107 / 2021 ग्रा०का०मा०.....614.....राँची / दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–107 / 2021 ग्रा०का०मा०.....614.....राँची / दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9.3.21
सरकार के अवर सचिव।

श्री राजेश कच्छप, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–51" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि राँची रिंग रोड, राँची पतरातु रामगढ़ रोड, चौका कांड्रा चाईबासा रोड एवं राँची रिंग रोड फेज–VII के रख रखाव के लिए पथ निर्माण विभाग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजींग एंड फाईनेन्सिंग सर्विसेज, मुम्बई के साथ 2012 में 15 वर्षों के लिए एकरारनामा हुआ है ; 2. क्या यह बात सही है कि राँची रिंग रोड के लिए 120 करोड़ रूपये, रिंग रोड फेज–VII के लिए 56 करोड़ रूपये प्रति वर्ष विभाग के द्वारा दिया जाता है ; 3. क्या यह बात सही है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजींग एंड फाईनेन्सिंग सर्विसेज ने एल्सामैक्स मैंटेनेन्स सर्विस लिमिटेड को ठेका दिया है जो नियम विरूद्ध शिवा प्रोटेकशन एवं रक्सेल कंसट्रक्शन को सब लेट कर दिया है ; 4. क्या यह बात सही है कि पथों का रख–रखाव मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है तथा बीसी ओवरले की मोटाई 40–मिमी मीटर वीएमवी 40–ग्रेड अलकतरा का एकरारनामा के अनुसार होना चाहिए, जबकि इसे 30 मिली मीटर ही किया तो है और वह भी VG 30-ग्रेड के अलकतरा से की जा रही है ; 5. यदि उपरोक्त खण्डों उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कार्यों में सुधार कराने एवं जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड त्वरित पथ विकास कार्यक्रम (JARDP) अन्तर्गत लोक निजी भागीदारी (PPP) पर BOT (Annuity) पर राँची रिंग रोड, राँची–पतरातु–रामगढ़ पथ, आदित्यपुर–काण्ड्रा पथ, चाईबासा–काण्ड्रा–चौका पथ एवं राँची रिंग रोड फेज–VIIके विकास हेतु पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड एवं IL&FSद्वारा एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया है, जिसका नाम Jharkhand Accelerated Road Development Company Limited (JARDCL) है। इस कार्य का Financing, Construction, Operation & Maintenance के लिए JARDCLका Joint Venture Partner IL&FS द्वारा गठित कम्पनी Jharkhand Road Projects Implementation CompanyLimited (JRPICL)एवं Jharkhand Infrastructure Implementation Company Limited(JIICL) है। JRPICLएवं JIICL इस कार्य के "Concessionaire" हैं। अतः पथों का निर्माण एवं निर्माण के पश्चात् अगले 15 वर्षों तक Operation & Maintenance इसी Concessionaire की जिम्मेवारी है। इस अवधि में उनके द्वारा ही कार्य कराया जाता है। राँची रिंग रोड (सेक्शन–III से VI) के लिए उक्त Annuity की राशि₹117.819 करोड़ तथा रिंग रोड सेक्शन–VII के लिए ₹111.664करोड़ है। उक्त Operation & Maintenance के लिए JRPICLएवं JIICLद्वारा IL&FS की Company Elsamex Maintenance Services Limited (EMSL) के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। "Concession Agreement" में "Concessionaire" को उस प्रकार के एकरारानामा अथवा निजी एजेन्सी की सेवा लेने से रोकने हेतु किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड के लिए मात्र Concessionaire ही उत्तरदायी हैं, जिन्हें पथों की नियमानुसार Serviceability सुनिश्चित करनी है। प्रश्नाधीन पथों के Operation & Maintenance के लिए संपादित "Concession Agreement" के Operation &Maintenance Requirementsसे संबंधित Schedule- "L" में दिये गये प्रावधान के अनुसार पथों के सतह का Roughness Value 3000mm/Km हो जाने पर पथ के BC परत का Renewal करने का प्रावधान है, जिससे कि यह 2000mm/Km तक आ जाये। इसमें BC परत की मुटाई अथवा Bitumen की Gradeके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। यह सही है कि कुछ पथो मे ससमय Overlay नहीं किये जाने से उन पथांशों का सतह संतोषजनक नहीं है। प्रश्नाधीन पथों के रख–रखाव (Operation & Maintenance) के पर्यवेक्षण के लिए Independent Consultant नियुक्त है, जो "Concessionaire" के कार्यों का पर्यवेक्षण करते है तथा दिशा निर्देश देते हैं। प्रत्येक अर्द्धवार्षिक भुगतान (Semi Annuity Payment) के पहले विभागीय दल द्वारा भी पथों का निरीक्षण किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार सुधार हेतु निदेश दिये जाते हैं। "Concessionaire" द्वारा उक्त निदेशों पर कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन दिया जाता है। उक्त रख–रखाव 15 वर्षों के लिए है एवं पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा सुधार एवं सतत् प्रक्रिया है। एकरारनामा अनुसार पथों के Maintenance नहीं किये जाने पर "Concessionaire" पर एकरारनामा में कार्रवाई का प्रावधान है। तत्काल उनके द्वारा संपादित Maintenance कार्य समीक्षाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–48/2021 932(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 896 दिनांक 03.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–48/2021 932(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–48/2021 932(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपिः– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(416)

519
08/03/2021

श्री रणधीर कुमार सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-म०(रा०)-04

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत सारठ प्रखंड के कुकराहा +2 उच्च विद्यालय में भवन निर्माण विभाग द्वारा 12 कमरे स्वीकृत किये गये हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि इस विद्यालय में राज्य योजना अन्तर्गत 13 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण **झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्** द्वारा स्वीकृत है।
2	क्या यह बात सही है कि +2 उच्च विद्यालय की अपनी जमीन रहते हुए, स्वीकृत भवन का कार्य दबंगों के द्वारा करने नहीं दिया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस विद्यालय को कुल 5.40 एकड़ भूमि दान द्वारा 50-60 वर्ष पूर्व उपलब्ध हुई थी। वर्तमान में विद्यालय के पास 4.63 एकड़ भूमि कब्जे में सेटलमेंट पर्चा के अनुरूप उपलब्ध है। दानकर्त्ता के वारिसान द्वारा खाली भूमि का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक, अंचल अमीन को पत्र दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा खाली भूमि को छोड़कर विद्यालय परिसर में उपलब्ध पुराने जर्जर भवन को तोड़कर नया भवन निर्माण कराने की मांग की गई है, जिसके लिये प्रधानाध्यापक द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, देवघर को आवेदन दिया गया है। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, देवघर को अपने पत्रांक 600 दिनांक 19.08. 2020 द्वारा स्थलीय जांच के उपरांत भवन तोड़ने के संबंध में अनापत्ति/अनुमति प्रदान की गई है। उपायुक्त, देवघर द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को अपने पत्रांक 1108 दिनांक 07.09.2020 द्वारा पुराने एवं जर्जर भवन को तोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दबंगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उक्त भवन का निर्माण शुरू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	भवन निर्माण का कार्य पुराना एवं जर्जर भवन टूटने के उपरान्त कराये जाने तथा आवश्यकता होने पर संवेदक को प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, से वस्तुस्थिति सुस्पष्ट है।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.1-47/2021 519 राँची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

417

माननीय स0वि0स0 सुश्री अम्बा प्रसाद द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– ग्राम– 58 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु वित्त आयोग के अनुदान से गांव के मुखियाओं द्वारा जलमीनार, पेवर ब्लॉक एवं लाईट इत्यादि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है;	स्वीकारात्मक। केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है। इस राशि से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निदेशों के अधीन त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाओं की उपयोगिता एवं गुणवत्ता पर काफी शिकायतें प्राप्त होती है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। प्राप्त शिकायतों एवं विभाग द्वारा चलाये जा रहे अनुसमर्थन मिशन अंतर्गत योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में अनियमितता पाये जाने पर लोकधन की वसूली एवं संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जाती है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनरेगा के तर्ज पर वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि का सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रावधान लाने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान मद की राशि के सामाजिक अंकेक्षण संबंधी मार्गदर्शिका का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शिका को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात अनुदान राशि के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 11/2021 512 /. राँची, दिनांक :– 3.3.2021

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 734 दिनांक 01.03.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 11/2021 512 /. राँची, दिनांक :– 3.3.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

03/03/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 11/2021 512 /. राँची, दिनांक :– 3.3.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

03/03/21
सरकार के उप सचिव।

सुनीता/01.03.2021

418.

श्री रामचन्द्र चंद्रवंशी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–18" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के खरसोता मोड़ से ग्राम गरदाहा–पतीला होते हुए ग्राम कसनप तक सड़क का निर्माण वर्ष 2018–19 में किया गया है ;	खरसोता मोड़ से कसनप पथ (लंबाई–23.30 कि०मी०), पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की पथ है। प्रश्नगत क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर नये उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति के पश्चात उक्त पुल का कार्यान्वयन कराया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि ग्राम बरवाडीह तथा ग्राम नारायणपुर के बीच सड़क पर बना पुल टूट गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क–पुल का निर्माण (शीघ्र) कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–18/2021 926(S) राँची/दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 511 दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–18/2021 926(S) राँची/दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची /संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–18/2021 926(S) राँची/दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(419)

दिनांक–10.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री केदार हजरा द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–41 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमुआ प्रखण्ड रेम्बा से धनवार पथ की लम्बाई लगभग 8 कि०मी० है एवं इसकी स्थिति काफी जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित पथ की स्थिति काफी जर्जर रहने के कारण स्थानीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार रेम्बा धनवार पथ का जीर्णोद्धार कराना चाहती है,हाँ तो कब तक,नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–92 / 2021 ग्रा०का०मा०.....603.....राँची / दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–523, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–92 / 2021 ग्रा०का०मा०.....603.....राँची / दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

09.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–92 / 2021 ग्रा०का०मा०.....603.....राँची / दिनांक–09.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

09.03.21
सरकार के अवर सचिव।

450

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० ग्रा०–62

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला का अड़की प्रखण्ड जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है इसे बांटकर दो प्रखण्डों में विभक्त करने से विकास की गति तेज होगी साथ ही प्रशासन मजबूत होगा जिसकी मांग की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। अड़की प्रखण्ड अन्तर्गत मात्र 16 पंचायत एवं जनसंख्या–80589 है तथा प्रखण्ड मुख्यालय से बिरबांकी की दूरी 16 कि०मी है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अड़की प्रखण्ड को विभक्त कर बीरबांकी प्रखण्ड के नाम से एक अलग प्रखण्ड के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प सं०–5495 दिनांक–16.10.2015 में नये प्रखण्डों के गठन/सृजन हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया के तहत पंचायत की संख्या कम–से–कम 18, जनसंख्या 1.25 लाख एवं प्रखण्ड मुख्यालय से दूरी 25 कि०मी० से अधिक होनी चाहिए। प्रश्नाधीन बिरबांकी, प्रखण्ड सृजन हेतु अर्हता पूर्ण नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि०स०–05/2021/ग्रा०वि० 890 राँची, दिनांक–05.03.21

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झा० वि० स० सचिवालय को उनके ज्ञाप–731 दिनांक–01.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 05.03.21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि०स०–05/2021/ग्रा०वि० 890 राँची, दिनांक–05.03.21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 05.03.21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि०स०–05/2021/ग्रा०वि० 890 राँची, दिनांक–05.03.21

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 05.03.21

सरकार के अवर सचिव।

421.

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–31

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखंड–शिकारीपाड़ा अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखंड शिकारीपाड़ा अंतर्गत ग्राम–शहरबेड़ा से हुलास डंगाल के बीच चीरूडीह नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि आमदिनों व बरसात में उपरोक्त दोनों क्षेत्र के बड़ी आबादी को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड–शिकारीपाड़ा के ग्राम–शहरबेड़ा से ग्राम–हुलास डंगाल के बीच चिरूडीह नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–27/2021/ग्रा0का0 548 राँची, दिनांक–05.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 519 वि0स0 दिनांक – 26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/21

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–27/2021/ग्रा0का0 548 राँची, दिनांक–05.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/21

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–27/2021/ग्रा0का0 548 राँची, दिनांक–05.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/21

सरकार के अवर सचिव

(422)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–नं०–17 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत झुमरी तिलैया नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं०–27 मड़ुआटांड स्थित सरकारी भूमि पर पार्क निर्माण कराने की योजना विगत 10 वर्षों से सरकार के समक्ष लंबित है।	स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में उक्त सरकारी स्थल पर पार्क निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू कराना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	झुमरीतिलैया नगर परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13.07.2013 को आयोजित निकाय बोर्ड की बैठक में उक्त योजना की स्वीकृति दी गई। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने एवं जिला प्रशासन कोडरमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण पार्क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–02 / वि०मं०प्र०–03 (ता०–प्र०) / 2021 न०वि०आ०208 राँची, दिनांक–08/03/21

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–408 वि०स० दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2021

सरकार के अवर सचिव।

rk_D_2021_Vidhan Sabha_17

423

श्रीमती सीता सोरेन, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–21 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची के पिस्का मोड, रातु रोड से लेकर लालपुर चौक, डंगरा टोली चौक होते हुए कांटाटोली चौक तक हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर सड़कों का चौड़ीकरण एवं फ्लाई ओवर नहीं रहने से आम लोगों को जाम की परेशानी झेलना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित स्थानों पर सड़कों का चौड़ीकरण एवं फ्लाई ओवर बनाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु कचहरी चौक से लालपुर चौक, डंगराटोली चौक होते हुए कांटाटोली चौक तक पथ को डिवाइडर सहित फोरलेन करने का निर्णय लिया गया है एवं जुडको लि० द्वारा इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रातु रोड पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/न०वि०/तारांकित–11/2021 916 राँची, दिनांक :– 08/03/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–726 दि०स० दिनांक–01.03.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2021
सरकार के अवर सचिव

श्री दशरथ गागराई, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–25 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा मौजा–वार्ड संख्या–5, नगरपालिका चक्रधरपुर के खाता संख्या–90, प्लॉट संख्या–28 रकबा–1.20 एकड़ भूमि पर 632 फीट पी०सी०सी० पथ का निर्माण रैयत रेंगो गागराई जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से है उनकी बिना सहमति के उनके जमीन पर करा दिया गया है :	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उस वार्ड के निवासियों द्वारा पी०सी०सी० पथ का निर्माण हेतु आवेदन पत्र संबंधित वार्ड पार्षद एवं अध्यक्ष की अनुशंसा से दिनांक–16.05.2019 को कार्यालय को प्राप्त हुआ था। जिसे दिनांक–18.06.2019 को बोर्ड बैठक में पारित किया गया था। वार्ड की बैठक में योजना का नाम– वार्ड नं० 09 नया एवं 05 पुराना के राजेन्द्र प्रसाद के घर से केशो प्रधान के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। दिनांक–19.03.2020 को योजना का शिलान्यास माननीय अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद के द्वारा किया गया फिर भी श्री गागराई द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। विदित हो कि उक्त सड़क पर लगभग 50 वर्षों पूर्व से ही कच्ची सड़क से लोगों का आवागमन हो रहा था।
2.	क्या यह बात सही है कि अंचल अधिकारी चक्रधरपुर के सीमांकन वाद संख्या–98/20–21 में भी उपरोक्त प्लॉट पर पी०सी०सी० पथ निर्माण की पुष्टि की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पी०सी०सी० पथ का निर्माण किया गया है। जिसमें अन्य रैयत की जमीन भी शामिल है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध एस०टी०/ एस० सी० अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने एवं अनुसूचित जनजाति के रैयत रेंगो गागराई की जमीन को अतिक्रमणमुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त सड़क निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड से पारित है श्री रेंगो गागराई द्वारा निर्माण से पूर्व संज्ञान में नहीं लाया गया एवं ना ही कोई आपत्ति दर्ज की गई ऐसी परिस्थिति में किसी भी पदाधिकारी पर तत्काल कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामले में किस परिस्थिति में पथ निर्माण हुई है, उसकी जाँच करने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई करने पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/वि०स० तारांकित–18/2021 959 राँची, दिनांक– 09/3/21

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०ग०–694 वि०स० दिनांक–03.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/3/21
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री भानु प्रताप शाही, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–29" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले सड़क क्रमशः हरिहरपुर बी०मोड़ से पचाडुमर तक, पचाडुमर से चनना खोरा होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक, श्री बंशीधर नगर से भवनाथपुर खरौंधी मोड़ से होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक एवं श्री बंशीधर नगर से होते हुए भवनाथपुर तक पथ का निर्माण कराया गया है; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का निर्माण के दौरान कई ग्रामीणों का जमीन अधिग्रहण किया गया है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ में अधिगृहित जमीन के एवज में ग्रामीणों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पथ, (1) पांचाडुमर–परती–यू०पी० सीमा पथ (लंबाई 21.50 कि०मी०), (2) नगरउंटारी–भवनाथपुर– खरौंधी–डाला पथ (लंबाई 37.31 कि०मी०), (3) एन०एच–75बंशीधर मंदिर–चितविश्राम–डम्बा–चना–मरदा पथ (लंबाई–15.565 कि०मी०), पथ निर्माण विभाग की पथ है। जिनमें क्रमांक– 1 एवं 2 पथों का निर्माण कराया गया है एवं क्रमांक–3 का कार्य प्रगतिशील है। स्वीकृति में निर्माण के साथ भू–अर्जन की स्वीकृति भी सम्मिलित है। भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गढ़वा द्वारा जिला भू–अर्जन कार्यालय, गढ़वा को समर्पित किया गया है। जिनसे अधियाचित मुआवजा राशि अपेक्षित है। जिसके पश्चात् विधिवत् मुआवजा राशि, भू–अर्जन कार्यालय, गढ़वा को हस्तांतरितकराई जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प०नि०वि०–11–ता०प्र०–29/2021, 928(5), राँची/दिनांक– 08/03/21
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–416, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प०नि०वि०–11–ता०प्र०–29/2021, 928(5), राँची/दिनांक– 08/03/21
प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प०नि०वि०–11–ता०प्र०–29/2021, 928(5), राँची/दिनांक– 08/03/21
प्रतिलिपिः– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

08/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

226

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–48

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड में बारबेन्दिया पुल का निर्माण कार्य 36.57 करोड़ रूपये की लागत से वित्तीय वर्ष–2008–09 में शुरू होने के बाद 26 अगस्त, 2009 को ध्वस्त होकर गिर गया था;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0) के ज्ञापांक सं0–7 (वि0स0)–92/2020/ग्रा0का0 1404, राँची, दिनांक–19.09.2020 के आलोक में अर्धनिर्मित संरचना की स्थायित्व की जाँच मुख्य अभियंता, ग्रा0वि0वि0 विशेष प्रक्षेत्र से करा कर अग्रेतर कार्रवाई की बात कही गयी है;	स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अर्धनिर्मित ध्वस्त बारबेंदिया पुल का निर्माण या उसकी जगह पर नये पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नांकित पुल के क्षतिग्रस्त भाग को छोड़कर अवशेष पुल के स्थायित्व की जाँच हेतु CSMRS (Central Soil Material Research Station), New Delhi से कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही उक्त पुल के पुनर्निर्माण की अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–25/2021/ग्रा0का0 547 राँची, दिनांक– 05.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 520 वि0स0 दिनांक – 26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–25/2021/ग्रा0का0 547 राँची, दिनांक– 05.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–25/2021/ग्रा0का0 547 राँची, दिनांक– 05.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/21
सरकार के अवर सचिव

427

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के ईटखोरी प्रखण्ड में तुम्बी चौक से पचमो तक आर०ई०ओ० द्वारा निर्मित सड़क की स्थिति अत्यन्त जर्जर है;	आंशिक स्वीकारात्मक पथ का निर्माण कार्य 2017 में पूर्ण कराया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि सड़क जर्जर स्थिति में होने के कारण आये दिन यहाँ के लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक पथ का पथांश कहीं–कहीं जर्जर है, जहाँ मरम्मति की आवश्यकता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आम जनमानस के हित को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से प्राथमिकता पर अनुशंसा प्राप्त होने पर, विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–85/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......587......राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–427 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–85/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......587......राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि०स०–12)–85/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......587......राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21

सरकार के उप सचिव।

428

दिनांक–10.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री लोबिन हेम्ब्रम द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–64 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहबगंज जिला के बोरियो प्रखंड अन्तर्गत (1)N.H सड़क बाझी बाजार मडुआ कारीकान्दर से दलदली तक 6–K.M, (2)N.H बाँझी बाजार से खिजुरिया होते हुए बरमसिया तक 4–K.M, (3)N.H रक्सी से जामकुन्दर तिलावन्नी होते हुऐ खपलो तक–8K.M एवं (4)N.H सड़क जिलेबियामोड़ विश्राम गृह से लोहन्डा, माको होते हुए बासकोला तक 15–K.M ग्रामीण सड़कों की स्थिति अत्यंत ही खराब है जो आवागमन के लायक नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 (एक) में वर्णित सभी ग्रामीण सड़क कच्ची होने के कारण अनुसूचित जनजाति पहाड़िया जाति बाहुल्य ग्रामीण को हर मौसम में आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार खण्ड एक(1) में वर्णित चारों सड़कों को बनाने का विचार चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–88 / 2021 ग्रा०का०मा०.....604.....राँची / दिनांक– 09.03.2021
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–746, दिनांक–01.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–88 / 2021 ग्रा०का०मा०.....604.....राँची / दिनांक– 09.03.2021
प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–88 / 2021 ग्रा०का०मा०.....604.....राँची / दिनांक– 09.03.2021
प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

09.3.21
सरकार के अवर सचिव।

श्री समीर कुमार मोहान्ती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–53" का उत्तर प्रतिवेदन:–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत चाकुलिया प्रखण्ड की जीवन रेखा मानी जानेवाली धलभूमगढ़–बैंद सड़क चाकुलिया को जिला तथा प्रदेश मुख्यालय से जोड़ती है; 2. क्या यह बात सही है किझारखण्ड को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली उक्त वर्णित सड़क पर काफी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन होने के कारण पथ जर्जर स्थिति में है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित सड़क की मरम्मति IRQP से कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, धालभूमगढ़–चाकुलिया–बैन्द पथ (लंबाई–27.896 कि0मी0), पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की पथ है। इस पथ पर वर्त्तमान तथा विगत वर्ष में आवश्यक मरम्मति कराई गई है तथा भविष्य में निधि की उपलब्धतानुसार पथ की आवश्यक मरम्मति/उन्नयन कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–50/2021 917(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 898 दिनांक 03.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–50/2021 917(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची /संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–50/2021 917(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या पथ–45 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि पांकि विधान–सभा क्षेत्र एवं सिमरिया विधान–सभा क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पांकी से लावालंग भाया लोहरसी टिकदा होते हुए बगरा सिमरिया तक 33 कि०मी० अत्यंत जर्जर स्थिति में है;	आंशिक स्वीकरात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पथ अत्यंत जर्जर स्थिति में होने के कारण अधिकांश वाहनों का आवागमन हेरहंज एवं बालूमाथ होकर करना पड़ रहा है, जिसके कारण लगभग 80 कि०मी० की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है;	आंशिक स्वीकरात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का अविलंब निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन पथ RCPLWEA योजना अन्तर्गत स्वीकृत है। पथ के रेखांकण में वन क्षेत्र एवं वाईल्ड लाईफ सेंक्च्यूरी है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :–05 (वि०स०–12)–105/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 617 राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–902, दिनांक–03.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 09.03.21
(विपिन कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05 (वि०स०–12)–105/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 617 राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05 (वि०स०–12)–105/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 617 राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा–3, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०
सरकार के अवर सचिव।

(431)

श्री दीपक बिरूवा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–43" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि प०सिंहभूम जिला में कुल 8 पथों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है; 2. क्या यह बात सही है कि 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद अबतक प्रभावित कई रैयतों को अधिगृहित जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है; 3. क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, प० सिंहभूम चाईबासा के भू–अर्जन शाखा के पत्रांक–233–बी/भू०अ०, दिनांक–28.08.2020 द्वारा प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग को मुआवजा की राशि का भुगतान रैयतों को करने के लिये राशि आवंटित हेतु पत्राचार किया गया है; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 मे वर्णित पत्र के आलोक में वर्तमान् वित्तीय वर्ष में प्रभावित रैयतों को मुआवजा देने के लिये राशि आवंटित करने का विचार रखती, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2012 से 2016 के बीच पथ प्रमंडल, चाईबासा अंतर्गत प्रश्नगत् आठ परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है, जिसमें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) अंतर्गत आवश्यक भू–अर्जन हेतु समुचित प्रावधान किया गया था। जिसके लिए अप्रत्याशित वृद्धि के साथ पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जो समीक्षाधीन है। तदनुरूप स्वीकृति उपरान्त भू–अर्जन मुआवजा हेतु राशि का उपबन्ध किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–45/2021 922(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 899 दिनांक 03.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–45/2021 922(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची /संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–45/2021 ....राँची/दिनांक : ....

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

(ह०) 08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

Vidhan Sabha/Taranki Prasn/Panchami bajet Satra, 2021

श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय०– 23 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि हजारीबाग के बरही प्रखण्ड के पंचायत, कोणरा, बरही पूर्वी, बरही पश्चिमी, रसोइया धमना, बेन्दगी में पीने का पानी का व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
प्रश्नांकित पंचायतों में जलापूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है, जो विभागीय मानक के अनुरूप है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>पंचायत का नाम</th><th>आबादी (2011)</th><th>चालू नलकूपों की संख्या</th><th>चालू सोलर आधारित जलापूर्ति योजना की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कोनरा</td><td>7549</td><td>65</td><td>04</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बरही पूर्वी</td><td>13953</td><td>89</td><td>04</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बरही पश्चिमी</td><td>4596</td><td>22</td><td>02</td></tr>
<tr><td>4</td><td>रसोइया धमना</td><td>7243</td><td>54</td><td>00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बेन्दगी</td><td>5485</td><td>56</td><td>01</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि तिलैया डैम के जवाहर घाट में पानी टंकी का निर्माण वर्ष–2013–14 में किया गया है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि बरही पहाड़ी पर पानी फिल्टर करने का मशीन, कमरा तथा बड़ा टैंक का निर्माण हो गया है;</td><td>स्वीकारात्मक।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं DVC की आपसी सहमति से CSR के तहत् बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 201 (स्वी०), दिनांक–15.03.2013 के द्वारा कुल राशि रूपये 17,24,65,024/– (रूपये सत्रह करोड़ चौबीस लाख पैंसठ हजार चौबीस) पर स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके अन्तर्गत विभाग के द्वारा राशि रूपये 7,83,36,275/– (रूपये सात करोड़ तिरासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर) तथा DVC के द्वारा राशि रूपये 9,41,28,748/– (रूपये नौ करोड़ इकतालीस लाख अठाईस हजार सात सौ अड़तालीस) उपलब्ध कराया जाना था। विभाग के द्वारा पूरी राशि उपलब्ध करा दी गयी है परन्तु DVC के द्वारा अबतक मात्र रूपये 6,00,00,000/– (रूपये छः करोड़) ही उपलब्ध कराया गया है। शेष राशि DVC से प्राप्त नहीं होने के कारण शेष कार्य अधुरा है, राशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त DVC को योजना के WTP का कार्य पूर्ण कराकर देना था जो अबतक मात्र 65 % ही पूर्ण हुआ है। शेष बचे कार्य को पूर्ण कराने हेतु राशि रूपये 2,85,00,000/– की आवश्यकता है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>क्या यह बात सही है कि DVC के द्वारा पेयजल स्वच्छता विभाग, हजारीबाग को (6) छः करोड़ रूपया पानी के सुचारू रूप से संचालन हेतु दिया गया है;</td><td>योजना के निर्माण हेतु DVC द्वारा राशि रूपये 9,41,28,748/– (रूपये नौ करोड़ इकतालीस लाख अठाईस हजार सात सौ अड़तालीस) उपलब्ध कराया जाना था, जिसके विरूद्ध DVC द्वारा अबतक मात्र रूपये छः करोड़ की राशि ही उपलब्ध करायी गयी है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन पंचायतों में पीने का पानी मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–154/2020– 887 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–916, दिनांक–03.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–154/2020– 887 राँची, दिनांक :– 8/3/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

433

दिनांक–10–03–2021 को श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या परि–04 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्नकर्ता *श्री उमा शंकर अकेला* माननीय स०वि०स०		*उत्तरदाता* श्री चम्पई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में हैवी ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं बनाया जाता है तथा ट्रेनिंग सेन्टर भी नहीं रहने के कारण नागरिकों को परेशानी एवं लंबी दूरी तय कर अन्यत्र दूसरे जिला जाना पड़ता है ;	–	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि एक मात्र धनबाद में ही ट्रेनिंग सेन्टर एवं लाइसेन्स देने की व्यवस्था की गई है।	–	आंशिक अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि धनबाद के अतिरिक्त दुमका जिला में भी भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यथाशीघ्र हजारीबाग में ट्रेनिंग सेन्टर खोलने एवं लाईसेन्स बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	–	राज्य में निजी हैवी ड्राईविंग ट्रेनिंग सेन्टर संचालित है। हजारीबाग में भी इस प्रश्नाधीन मामले में विहित प्रस्ताव आने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृति दी जायेगी।

08/03/21

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(स०सु०)–15/2021 123 /राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–882, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(स०सु०)–15/2021 123 /राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/21

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

(434)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1 क्या यह बात सही है कि साहेबगंज सदर प्रखण्ड अन्तर्गत उत्तरी मखमलपुर पंचायत के कारगिल दियारा में छटटु टोला होकर गंगोता टोला के पास P.W.D. पथ (P.W.D पथ शोभनपुर भट्ठा से राजगाँव तक) R.E.O. पथ तथा पंचायत गंगा प्रसाद पूरब अन्तर्गत सिन्हा टोला से होकर शोभनपुर भट्ठा P.W.D. पथ तक R.E.O. पथ सहित नाला पर पुल निर्माण आवश्यक है, जिससे स्थानीय आमजन का आवागमन प्रभावित है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज सदर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत रामपुर स्थित बासकोला घाट से गोपालपुर दियारा के मध्य उच्च स्तरीय पुल का निर्माण नहीं होने के कारण दर्जनों ग्राम के स्थानीय आमजन का आवागमन प्रभावित हो रही है;	स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित स्थलों पर पुलिया सहित R.E.O. पथों का निर्माण एवं (2) वर्णित स्थल पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मा0 स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–22/2021/ग्रा0का0 600 राँची, दिनांक– 09.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप स0 प्र0 – 424 वि0स0 दिनांक – 26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–22/2021/ग्रा0का0 600 राँची, दिनांक– 09.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–22/2021/ग्रा0का0 600 राँची, दिनांक– 09.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/21
सरकार के अवर सचिव

(435)

श्री भूषण बाड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–72 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री भूषण बाड़ा, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला स्थित केरसई प्रखण्ड अन्तर्गत तिरोमल से धुटबहार, भुढियाडीह, बोनोबारी, लुकन टोली, कोचाटोली, टीनाटोली, टांगरटोली, तक पथ–समडेया से ठोड़ीजोर होते हुए उड़िसा बॉर्डर तक पथ, एवं पाकरटांड़ प्रखण्ड अन्तर्गत कायरबेड़ा पंचायत के पतराटोली ग्राम से कोलबहार ग्राम तक पथ–आसनबेड़ा पंचायत के खंजालोया सरना पुल से पुरनापानी तक पथ–सिमडेगा प्रखण्ड अन्तर्गत कोचेडेगा से घरका पत्थल, भण्डारटोली, नावाटोली, मयघाट, जमुनाखोईर होते हुए बड़कीछप्पर तक पथ–कुरडेग प्रखण्ड अन्तर्गत –सर्पमुन्डा से बॉझी केउन्द होते हुए बगई भटासी तक पथ–खालीजोर से महुआटोली होते हुए बैरटोली जोरवा तक पथ–मिशनहाता से महुआटोली होते हुए लबडेरा तक पथों की स्थिति अत्यन्त जर्जर है;	आंशिक स्वीकारात्मक कोचेडेगा से घरका पत्थल, भण्डारटोली, नावाडोली, मयघाट, जमुनाखोईर होते हुए बड़कीछप्पर तक पथ के कुछ पथांश की मरम्मति वर्ष 2018–19 में की गयी है तथा कुछ पथांश का कालीकरण वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2020–21 में किया गया है। पतराटोली ग्राम से कोलबहार ग्राम तक पथ का 1.2 कि०मी० पथांश वर्ष 2020 में निर्मित है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित पथों का कालीकरण एवं उक्त पथों में पुल/पुलिया का निर्माण अबतक नहीं हुआ है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक कुछ पथांश का निर्माण किया जा चुका है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित पथों का कालीकरण एवं पथों में पुल/पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सिमडेगा जिला अन्तर्गत PMGSY-III अन्तर्गत पथों का चयन प्रक्रियाधीन है। PMGSY-III मार्गदर्शिका के अनुसार प्राथमिकता एवं योग्यता के आधार पर चयनित पथों का DPR सृजन कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा जाना संभव हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–96/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 618 राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–914 दिनांक–03.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विपिन 9.3.21
(विपिन कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–96/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 618 राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

विपिन 9.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि०स०–12)–96/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 618 राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

विपिन 9.3.21
सरकार के अवर सचिव।

436

श्री बैद्यनाथ राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–75

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री बैद्यनाथ राम, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
01– क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत प्रखण्ड चन्दवा के पंचायत चेटर, ग्राम चेटर में अमझरिया नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि नदी के दोनों ओर पहुँच पथ बनी हुई है;	स्वीकारात्मक।
02– क्या यह बात सही है कि ग्राम चेटर रेलवे एवं सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। उक्त पंचायत में पड़ने वाले सभी गाँव बरसात के दिनों में प्रखण्ड मुख्यालय से कट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के ग्रामीण जनता को ईलाज एवं हाट–बाजार आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त पुल को अगले वित्तीय वर्ष–2021–2022 ई0 में निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–34 / 2021 / ग्रा0का0 575 राँची, दिनांक– 08.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 915 वि0स0 दिनांक – 03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–34 / 2021 / ग्रा0का0 575 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–34 / 2021 / ग्रा0का0 575 राँची, दिनांक–08.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

437.

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–02" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत उग्रवाद प्रभावित टण्डवा प्रखंड के पाण्डेय मोड़ से राहम, बोदा, सिरपा बड़गाँव केरी मुरूपा मैक्लुस्कीगंज, बालुमाथ मुख्य पथ का निर्माण अबतक नहीं किया गया है, जिसके कारण आवागमन की समस्या बनी हुई है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित होने के बावजूद सब्जी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, परन्तु पथ सही नहीं रहने के कारण प्रशासन को आने–जाने में तथा पुलिस को PETROLING करने में काफी दिक्कत होती है ; 3. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग, चतरा द्वारा (तकनीकी स्वीकृति) (सी०ई०डी०पी०ओ०), दिनांक–22.12.2016 को प्राक्कलित राशि 42 करोड़ 88 लाख की तकनीकी स्वीकृति पत्रांक–सी०ई०डी०पी०ओ०, दिनांक–22.12.2016 द्वारा प्रदान कर विभाग को भेजा गया है, जिस पर अग्रतर कार्रवाई लम्बित है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। पाण्डेय मोड़ से बड़गाँव पथ (लंबाई लगभग–15.00 कि०मी०) खनन परिषद्, चतरा के अधीन है जबकि बड़गांव से दाहू (लंबाई–लगभग 2.215 कि०मी०) ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ है। पथ को मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–02/2021 931(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 67 दिनांक 17.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–02/2021 931(S) राँची/दिनांक 08/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची /संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–02/2021 931(5) रॉंची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपिः– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

08/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

438

डॉ० लम्बोदर महतो, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–39" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि कसमार, पेटरवार एवं गोमिया प्रखण्ड में मात्र 60 कि०मी० सड़क, पथ निर्माण विभाग द्वारा तथा 15 कि०मी० एन०एच०आई०ए० के द्वारा निर्मित सड़क है ; 2. क्या यह बात सही है कि गोमिया प्रखण्ड में ललपनिया से रजरप्पा तक 18 कि०मी० हुरलुंग से गझण्डी मोड़ (भाया–चतरोचट्टी) तक 23 कि० मी० कसमार प्रखण्ड में मुरहुल सूदी चौक से नेमरा (भाया–चौड़ा) 15 कि०मी० पथ, खुदीबेड़ा से डभातु (भाया–हिसीम) 27 कि०मी० पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तान्तरित करने से संबंधी प्रस्ताव लम्बित है, आवागमन सुलभ तथा आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित पथों को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, 1. ललपनिया से रजरप्पा 2. हुरलुंग से गझण्डी मोड़ (भाया चतरोचट्टी), 3. मुरहुल सूदी चौक से नेमरा (भाया चौड़) पथ, 4. खुदीबेड़ा से डभातु (भाया हिसिम) पथ। यह पथ ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के अधीन है। पथ को मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने को स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–39/2021 920(S) राँची/दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 512 दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–39/2021 920(S) राँची/दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–39/2021 920(S) राँची/दिनांक : 08/03/21
प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

459.

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं० ग्राम–66

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
01. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत माण्डू प्रखण्ड के ग्राम+पंचायत–दिगवार फोरलेन बाईपास से पुराना N.H-33 राँची रोड रेलवे स्टेशन के बीच साण्डी नदी पर पुल एवं पथ का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयाँ का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। आवागमन हेतु पूर्व से एक Submersible पुल निर्मित है, जो जर्जर अवस्था में है।
02. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दिगवार फोरलेन बाईपास से पुराना N.H-33 राँची रोड रेलवे स्टेशन के बीच साण्डी नदी पर पुल एवं पथ का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–35 / 2021 / ग्रा०का० 578 राँची, दिनांक– 08.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र० – 907 वि०स० दिनांक – 03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–35 / 2021 / ग्रा०का० 578 राँची, दिनांक– 08.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि०स०)–35 / 2021 / ग्रा०का० 578 राँची, दिनांक– 08.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/21
सरकार के अवर सचिव

(440)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक 10.03.2021 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या नं०— 03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्नकर्त्ता— श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह , मा०स०वि०स०	उत्तरकर्त्ता—श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त का कार्यालय (जिला विकास शाखा) धनबाद द्वारा झरिया विधान सभा क्षेत्र में विधायक मद से वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी, झमाडा को कुल ₹99,95,132.00 (निन्यानबे लाख पंचानवे हजार एक सौ बत्तीस मात्र) रूपये विमुक्त कर हस्तांतरित की गयी थी।	**स्वीकारात्मक।** उप विकास आयुक्त, धनबाद के पत्रांक–205 दिनांक–23.02.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि झरिया विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में विधायक मद से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी, झमाडा, धनबाद को कुल ₹1,10,55,326.00 (एक करोड़ दस लाख पच्चपन हजार तीन सौ छब्बीस मात्र) रूपये विमुक्त किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उप विकास आयुक्त, धनबाद द्वारा दिनांक– 11.09.2020 को कार्यकारी एजेंसी के प्रबंध निदेशक झमाडा, धनबाद को डी०सी० विपत्र उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार किया गया था परन्तु विपत्र उपायुक्त कार्यालय (जिला विकास शाखा), धनबाद को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।	**स्वीकारात्मक।** उप विकास आयुक्त, धनबाद के पत्रांक– 1060 दिनांक–11.09.2020 द्वारा प्रबंध निदेशक, झमाडा, धनबाद को विधायक योजना अंतर्गत उपलब्ध करायी राशि का डी०सी० विपत्र समर्पित करने हेतु पत्राचार किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि विधायक मद के नोडल पदाधिकारी को एजेंसी द्वारा डी०सी० बिल ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने का सीधा असर विधायक मद से होने वाले नये योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि आवंटन पर पड़ता है।	योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प–508 दिनांक– 24.02.2015 में प्रावधान है कि "किसी उप शीर्ष में किसी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा निकासी की गयी अंतिम ए०सी० विपत्र की कुल राशि का 66 प्रतिशत एवं उसके पूर्व के बचे हुए सम्पूर्ण राशि का डी०सी० विपत्र का समायोजन महालेखाकार के द्वारा करने के उपरांत ही दूसरे संक्षिप्त विपत्र (ए०सी०विपत्र) से राशि की निकासी की जाय ताकि कार्यों की प्रगति में राशि के अभाव में बाधा उत्पन्न न हो।" विधायक योजना अंतर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3792 दिनांक–06.11.2020 द्वारा उक्त प्रावधान को शिथिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटित राशि की निकासी की स्वीकृति दी गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार वर्णित वित्तीय वर्ष का डी०सी० बिल विधायक मद के नोडल पदाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु कार्यकारी एजेंसी, झमाडा को	विभागीय पत्रांक–776 दिनांक–01.03.2021 द्वारा उप विकास आयुक्त धनबाद की जवाबदेही निर्धारित करते हुए उन्हे डी0सी0 विपत्र समायोजन में विशेष अभिरूचि लेने का निदेश

	निर्देश देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	दिया गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक–755 दिनांक–01.03.2021 द्वारा प्रबंध निदेशक, झमाडा, धनबाद को आवंटित राशि का डी०सी० विपत्र उप विकास आयुक्त, धनबाद को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 12 (वि०यो०/वि०स०)–01/2021 804 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक–02·03·21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या– 77, दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2021
(शैल प्रभा कुजूर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 12 (वि०यो०/वि०स०)–01/2021 804 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक–02·03·21

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 12 (वि०यो०/वि०स०)–01/2021 804 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक–02·03·21

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को उनके पत्रांक–609 दिनांक–19.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 12 (वि०यो०/वि०स०)–01/2021 804 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक–02·03·21

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय स0वि0स0 श्री आलोक कुमार चौरसिया द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– न0– 18 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के सतबरवा प्रखण्ड में पुराने दुकानों को हटा कर स्थायी समाधान हेतु जिला परिषद द्वारा नये दुकानों का निर्माण किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सतबरवा प्रखण्ड में पूर्व से निर्मित बाजार शेड को पार्टीशन कर जिला परिषद द्वारा अपने आय स्त्रोत के वृद्धि हेतु 42 नए दुकानों के रूप में निर्मित किया गया है जिसे निर्धारित किराया दर पर इच्छुक व्यक्तियों को आवंटित किया जाना है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दुकानों को पुराने दुकानदारों को आवंटित न कर अपने नजदीकी एवं परिचित को जिला परिषद द्वारा आवंटित किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। दुकान आवंटन में पूर्ण रूपेण पारदर्शिता बरती गयी है जिसके अंतर्गत जिला परिषद बोर्ड में यह निर्णय लिया गया था कि जो भी उस बाजार शेड में पूर्व से छोटे–मोटे रेहड़ी–दुकानों चलाते आ रहे हैं उन्हें दुकान आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। जि0प0 बोर्ड द्वारा गठित कमिटी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सतबरवा से प्राप्त सूची के आधार पर चिन्हित कर 19 विस्थापितों को दुकान आवंटित किया गया है। शेष दुकानों को आगामी बोर्ड की बैठक में Computer Randomisation से आवंटित किया जायेगा।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुराने उजड़े हुए दुकानदारों को पारदर्शिता के साथ दुकान आवंटित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 13/2021 ......588......../, राँची, दिनांक :– 8.3.2021
प्रतिलिपिः– 125 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 525 दिनांक 26.02.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 13/2021 ......588......../, राँची, दिनांक :– 8.3.2021
प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

8/3/21
सरकार के उप सचिव।

8/3/21
कृ0पृ0to

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 13/2021 ......588......./, राँची, दिनांक :– 8.3.2021
प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 13/2021 ......588......./, राँची, दिनांक :– 8.3.2021
प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 810 (अनु0) दिनांक 02.03.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/21
सरकार के उप सचिव।

सुनिता/04.03.2021

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–26,

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत नगर परिषद् वार्ड नं०–2 भरेच नगर साण्डी टूटी झरना प्राचीन शिव मन्दिर के मुख्य मार्ग में पथ निर्माण कार्य नवम्बर, 2020 में किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण में प्राक्कलन के विरूद्ध घटिया निर्माण सामग्री यथा:–सीमेंट, बालू, गिट्टी का प्रयोग कर कार्य किया गया है, पी०सी०सी० कार्य में क्यूरिंग भी नहीं किया गया है, जिस कारण निर्माण के एक माह के अन्दर पथ टूटने लगा है;	अस्वीकारात्मक। पथ का निर्माण कार्य प्राक्कलन में प्रावधानिक विष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् रामगढ़ के द्वारा विभिन्न वार्डों में की जा रही विकास कार्यों के गुणवत्ता की जाँच एवं निगरानी संबंधित अभियंताओं/पदाधिकारियों द्वारा नहीं कर सरकारी राशि की लूट की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद रामगढ़ अंतर्गत कार्यान्वित सभी योजनाओं का योजना में संलग्न सभी अभियंताओं के द्वारा सतत् अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण किया जाता है योजनाओं में प्रयुक्त किये जा रहे निर्माण सामग्रियों के गुणवत्ता की जांच बी०आई०टी० सिंदरी से कराई जाती है। जांच प्रतिवेदन संतोषजनक रहने पर ही विपत्र का भुगतान किया जाता है। सरकारी राशि लूट से संबंधित किसी प्रकार का मामला संज्ञान में नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संबंधित कार्य करने वाले संवेदक को काली सूची में डालते हुए विभागीय अभियन्ता/पदाधिकारियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर दण्डनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/न०वि०/वि०स० तारांकित–19/2021 945 रांँची, दिनांक–09/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–895 वि०स० दिनांक–03.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/21

सरकार के उप सचिव।

मानानीय स०वि०स० सुश्री अम्बा प्रसाद द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०- ग्राम- 59 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण विकास हेतु दी गयी अनुदान राशि का सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रतिवर्ष (2017–18, 18–19, 19–20, 20–21) प्रखण्ड/जिला से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को विमुक्त राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सेवाएं मुहैया कराने में सहायता करने और इन्हें सुदृढ़ करने के लिए किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 1500 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 में सामाजिक अंकेक्षण आदेशित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान मद की राशि के सामाजिक अंकेक्षण संबंधी मार्गदर्शिका का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शिका को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात अनुदान राशि के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
(2) क्या यह बात सही है कि संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन कुछ जिलों एवं प्रखण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी परंतु कई जिलों द्वारा इस आदेश का पालन आज तक नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2017–18 में निर्धारित कुल 1500 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 में सामाजिक अंकेक्षण आदेशित नहीं किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने वाले संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि०स०)– 12/2021 513 /, राँची, दिनांक :– 03.3.2021

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 733 दिनांक 01.03.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि०स०)– 12/2021 513 /, राँची, दिनांक :– 03.3.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

03/03/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि०स०)– 12/2021 513 /, राँची, दिनांक :– 03.3.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

03/03/21
सरकार के उप सचिव।

सुनिता/01.03.2021

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

444

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–22" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत प्रखण्ड साहेबगंज ग्रामीण अन्तर्गत शोभनपुर भट्टा से राजगाँव पथ के मध्यम स्थित मरगंग नाला पर उच्च स्तरीय पुल जर्जर व क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जो क्षेत्र की दर्जनों ग्राम पंचायत को जोड़ता है, जिसे विभाग द्वारा आवागमन हेतु अस्थायी Diversion बनाकर वाहनों का परिचालन किया जा रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित क्षतिग्रस्त उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु पथ प्रमण्डल, साहेबगंज के माध्यम से अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, झारखण्ड, राँची के पास डी०पी०आर० की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजी जा चुकी है, जो लम्बित है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए अविलम्ब क्षतिग्रस्त पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, शोभनपुर भट्टा से राजगांव पथ (लंबाई–19.63 कि०मी०), पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की पथ है। पथ के 9वें कि०मी० में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति के पश्चात उक्त पुल का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–22/2021 927(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 514 दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–22/2021 927(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–22/2021 927(S) राँची/दिनांक : 08/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

08/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

Vidhan Sabha/Tarankit Prasn/Pancham Sabha, 2021

446

श्री केदार हजरा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–28" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि जमुआ प्रखण्ड के भूपतडीह पक्की सड़क से हारोडीह, बलगो, करमाटांड़ होते हुए कारोडीह पक्की रोड तक की पथ ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०म०) के पास है; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित पथ की लम्बाई करीब 20 कि०मी० रहने के कारण ग्रामीण कार्य मामले विभाग द्वारा अधिक लम्बा पथ रहने के कारण उचित ढंग से रख–रखाव नहीं की जा रही है; 3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित पथ की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे स्थानीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हारोडीह, बलगो, करमाटांड़ होतु हुए कारोडीह पक्की तक की पथ को ग्रामीण कार्य मामले विभाग से हस्तान्तरित करते हुए पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर पथ की सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	यह पथ ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के अधीन है। पथ को मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प०नि०वि०–11–ता०प्र०–28/2021, 929(S) राँची/दिनांक 08/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–415, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 08/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प०नि०वि०–11–ता०प्र०–28/2021, 929(S) राँची/दिनांक 08/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(ह०) 08/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प०नि०वि०–11–ता०प्र०–28/2021, 929(S) राँची/दिनांक 08/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

(ह०) 08/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।